नेफेड की उप-विधियां

BYE-LAWS OF NAFED

21 फरवरी, 2024 तक संशोधित
Amended upto 21 February 2024

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित

नेफेड भवन, आश्रम चौक, रिंग रोड, सिद्धार्थ इन्कलेव, नई दिल्ली-110014

National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India

Nafed House, Ashram Chowk, Ring Road, Siddhartha Enclave, New Delhi-110014

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड)

<u>की उप-विधियां</u>

<u>विषय सूची</u>

प्रारंभ	नाम एवं पता	1
	परिभाषाएं	1-3
नेफेड के उद्देश्य एवं कार्य	उद्देश्य	
	नेफेड के कार्य	4-6
नेफेड की सदस्यता, सदस्यों के अधिकार, कार्य एवं दायित्व	सदस्यता	7-8
	नामिक (नोमिनल) सदस्यता	8
	सदस्यता प्रवेश और अंशों का आवंटन	8
	प्रवेश शुल्क	8
	सदस्य के अधिकार	9
	सदस्यता आहरण (विदड्राल), निरस्त और निष्कासन	9
	सदस्य द्वारा जमा की जाने वाली राशि	9
	निधियों का अंतरण (ट्रांसफर)	10
	पूंजी (फंड)	10
	दायित्व	11
साधारण सभा का गठन, शक्तियां और कार्य	साधारण सभा में प्रतिनिधित्व	11
	साधारण सभा की वार्षिक बैठक	11-12
	साधारण सभा की विशेष बैठक	12
	साधारण सभा की विशेष/आम बैठक की सूचना	12
	साधारण सभा की बैठक हेतु कोरम	13
	साधारण सभा की शक्तियां	13
	उप-विधियों में संशोधन	13
निदेशक मंडल का गठन, शक्तियां एवं कार्य	निदेशक मंडल	14-16
	निर्वाचन के लिए प्रक्रिया और पात्रता	16
	प्रबंध निर्णय की प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी	17
	अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन	17
	निदेशक मंडल की बैठक	17
	निदेशक मंडल की बैठक का कोरम	17
	निदेशक मंडल का कार्यकाल	18

BYE LAWS OF NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVEMARKETING FEDERATION OF INDIA LTD (NAFED)

I N D E X

Preliminary	Name and Address	1
	Definitions	1-3
Objects/ Functions of NAFED	Objects	
	Functions of NAFED	4-6
Membership of NAFED their Rights, duties and liabilities	Membership.	7-8
	Nominal Membership.	8
	Admission and allotment of Shares.	8
	Admission Fee.	8
	Rights of Member.	9
	Withdrawal, cancellation and expulsion of Membership.	9
	Deposits by Members.	9
	Transfer of Fund.	10
	Capital (Funds).	10
	Liability.	11
Constitution Powers and Functions of General Body	Representation on the General Body.	11
	Annual Meeting of the General Body.	11-12
	Special Meeting of the General Body.	12
	Notice for the Special/General Meeting of the General Body.	12
	Quorum for the meeting of the General Body.	13
	Powers of the General Body.	13
	Amendments in the Bye-laws.	13
Constitution, Powers and the Functions of the Directors	Board of Directors.	14-16
	Procedure and eligibility for Election	16
	Association of Employees in Management Decision-Making Process.	17
	Election of Chairman & Vice Chairmen.	17
	Meeting of the Board of Directors.	17
	Quorum of the Board Meeting	17
	Term of the Board.	18

नेफेड की उप-विधियां

विषय सूची

	निदेशक मण्डल के पद की समाप्ति	19
	निदेशक मण्डल की शक्तियां एवं कार्य	19-20
	बैठकों के रिकार्ड का रख-रखाव	21
	निदेशक मण्डल की समितियां	21
	कार्यकारिणी समिति	21
	कार्यकारिणी समिति की शक्तियां एवं कार्य	22-23
	व्यवसाय समिति एवं उसके कार्य	23
	वित्त, लेखा, लेखा परीक्षा और आचार समिति	24
	परियोजना एवं विकास समिति	24
	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति	24
	निदेशक मण्डल की समितियों की बैठक एवं बैठकों के लिए कोरम	25
	अध्यक्ष	25
	प्रबन्ध निदेशक	26
	प्रबन्ध निदेशक की शक्तियां	27-28
	रिकार्ड का रख-रखाव	29
	सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति	29
	नेफेड़ की लेखा परीक्षा	30
निधियों का सृजन एवं उपयोग	शुद्ध लाभ का निपटान	30
विवाद	विवाद	31
सामान्य (विविध)	सामान्य	31
नेफेड का समापन (वाइंडिंग-अप)	समापन (लिक्विडेशन)	31

BYE LAWS OF NAFED

INDEX

	Cease to hold the Office of the Board	19
	Powers & Functions of the Board.	19-20
	Maintenance of record of meetings.	21
	Committees of the Board	21
	Executive Committee	21
	Powers and Functions of the ExecutiveCommittee.	22-23
	Business Committee & its functions	23
	Finance, Accounts, Audit and Ethics Committee	24
	Project and Development Committee.	24
	Committee on prevention of sexual harassment at work place	24
	Meeting and quorum of the Committees of the Board.	25
	Chairman	25
	Managing Director.	26
	Powers of the Managing Director.	27-28
	Maintenance of records	29
	Appointment of Cooperative Information Officer	29
	Audit of NAFED	30
Creation and Application of Funds	Disposal of net profits.	30
Disputes	Disputes	31
General (Miscellaneous)	General	31
Winding up of Nafed.	Liquidation	31

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड)
की
उप-विधियां

(अंग्रेजी में पंजीकृत उप-विधियों का हिंदी अनुवाद)

(केंद्रीय पंजीयक, सहकारी समितियां, नई दिल्ली के दिनांक 18 अक्तूबर, 1976, 26 जून, 1978, 23 नवम्बर 1979, 22 अक्तूबर, 1996, 15 जून, 2001, 21 जनवरी, 2003, 3 जून, 2004, 17 दिसम्बर 2004, 13 फरवरी, 2008, 9 फरवरी, 2009, 11 मई, 2010, 27 दिसंबर 2010, 09 जनवरी 2013, 19 फरवरी, 2014, 19.01.2024 एवं 21.02.2024 के पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के द्वारा पंजीकृत संशोधनों को अन्तर्विष्ट करते हुए)।

नेफेड की पंजीकरण संख्या है:- 117 दिनांक 2 अक्तूबर, 1958

नाम और पता

1. (क) यह समिति "नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" कहलाएगी और हिंदी में इसे :

'भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित' कहा जाएगा।

(ख) इसके बाद इसमें इसे 'नेफेड' कहा जाएगा और

हिंदी में इसे "नेफेड" कहा जाएगा।

(ग) इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में होगा और वर्तमान पंजीकृत पता 'नेफेड हाउस, सिद्धार्थ इन्कलेव, आश्रम चौक, रिंग रोड नई दिल्ली-110014' (ई-मेल: mdcell@nafed-india.com) है। ई-मेल सहित पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन यथा-संशोधित बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार 2002 के बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों, यदि कोई हो, की शर्तों में केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज को इस प्रकार का परिवर्तन 14 दिनों के अंदर सूचित किया जाएगा।

(घ) नेफेड के कार्य-क्षेत्र और इसकी सदस्यता के प्रयोजन से इसका कार्य-क्षेत्र संपूर्ण भारत संघ होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक प्रकरण में अन्यथा अपेक्षा न हो, इन उप-विधियों में :

(i) "नेफेड" का अभिप्राय भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित है।

(ii) "अधिनियम" का अभिप्राय उस राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्रों पर लागू होने वाले उस बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002 यथासंशोधित बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2023 और इसके अधीन नियमों से है, जहां नेफेड का मुख्यालय स्थित है।

BYE LAWS OF

NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LIMITED (NAFED)

(Incorporating amendments registered by the Central Registrar of Cooperative Societies, New Delhi, vide Registration Certificates dated 18-10-1976, 26-6-1978, 23-11-1979, 22.10.1996, 15.6.2001, 21.01.2003, 03.06.2004, 17.12.2004, 13.02.2008, 09.02.2009, 11.05.2010, 27.12.2010, 09.01.2013, 19.02.2014, 19.01.2024 & 21.02.2024)

Registration Number of NAFED is 117 dated 2nd October 1958.

Name and Address

1.(a) The Society shall be called 'National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.' and in Hindi version as :

"BHARTIYA RASHTRIYA KRISHI SEHKARI VIPRAN SANGH MARYADIT"

"भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित"

(b) Hereinafter it shall be referred to as 'NAFED' and in Hindi version as :

"नेफेड"'

(c) Its registered office shall be at New Delhi and at present its registered address is 'NAFED House, Siddhartha Enclave, Ashram Chowk, Ring Road New Delhi-110014' (E-mail: mdcell@nafed-india.com). Any change in the registered address including e-mail shall be notified within 14 days of such change to the Central Registrar, Cooperative Societies in terms of the provisions, if any, of the Multi-State Cooperative Societies Act of 2002, as amended by MSCS (Amendment) Act, 2023.

(d) The area of operation and the membership of NAFED shall extend to the whole of Union of India.

Definitions

2. In these Bye-laws unless the context otherwise requires:

(i) "NAFED" means the 'National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited.

(ii) "ACT" means the Multi State Cooperative Societies Act 2002 as amended by Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Act, 2023 and Rules made there under, as is applicable in the States/Union Territories in which the Head Office of NAFED is located.

(iii) "राज्य स्तरीय विपणन समिति" का अभिप्राय उस संघसमिति से है जो कृषि उत्पाद के विपणन-, प्रसंस्करण, उत्पाद सामग्रियों तथा उपभोक्ता माल की पूर्ति में कार्यरत है और जिसके क्षेत्र का प्रसार संपूर्ण राज्य अथवा संघ शासित राज्यक्षेत्र है।-

(क) "राज्य" का अभिप्राय भारतीय संविधान में राज्य के रूप में परिभाषित क्षेत्र है।

(ख) "संघ शासित राज्य क्षेत्र" का अभिप्राय भारतीय संविधान में संघ शासित राज्य क्षेत्र के रूप में परिभाषित है।

(ग) "सहकारी समिति" का अभिप्राय सहकारी समितियों के लिए किसी राज्य में तत्समय लागू नियम के अन्तर्गत पंजीकृत ब्लॉक स्तर या इससे ऊपर के स्तर की समिति से है अथवा जिसे नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत माना गया है जो प्राथमिक रूप से कृषि उत्पादों के विपणन/प्रसंस्करण और संबंधित कार्यों में संलग्न है।

(घ) "बहु-राज्य सहकारी सोसायटी" का अभिप्राय एक ऐसी समिति से है जो बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत है अथवा उसे इसके अंतर्गत पंजीकृत माना गया है और इसके कार्यक्षेत्र का प्रसार एक राज्य अथवा एक संघ शासित राज्य क्षेत्र से अधिक में है।

(ड) "राष्ट्रीय सहकारी समिति" का अभिप्राय उस एक बहु-राज्य सहकारी समिति से है जैसा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है।

(च) "सदस्य" का अभिप्राय उस सहकारी समिति संस्था अथवा केंद्रीय सरकार से है जो/तत्समय नेफेड की सदस्य है।

(छ) "नामिक सदस्य (नोमिनल)" का अभिप्राय उस समिति या कंपनी या एसोसिएशन अथवा अन्य किसी संगठन से है जिसे इन उपविधियों में विहित नामांकन शुल्क देकर नामिक सदस्य बनाया - गया हो। इस प्रकार के नामिक सदस्यों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे या उनकी कोई बाध्यता नहीं होगी जो नेफेड के नियमित सदस्यों पर लागू होती है।

(ज) "प्रतिनिधि" का अभिप्राय इन उपविधियों के अनुसार सदस्य समिति द्वारा विधिवत् नियुक्त व्यक्ति - विधियों के अनुसार साधारण -अथवा भारत सरकार या अन्य संगठन प्रतिनिधियों से है जो इन उप सभा की बैठक में भाग लेने की योग्यता रखते हैं।

(झ) "अंश पूंजी" का अभिप्राय इन उप-विधियों के अनुसार सदस्यों द्वारा नेफेड के शेयर क्रय करके निवेशित पूंजी है।

(ञ) "मंडल" का अभिप्राय इन उप-विधियों के निबंधनों के अनुसार गठित नेफेड के निदेशक मंडल से है।

(ट) "कार्यकारिणी समिति" का अभिप्राय इन उप-विधियों के निबंधनों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति से है।

(iv) "State Level Marketing Society" means a federal society engaged for marketing, processing of agricultural produce and supply of production requisites and consumer goods and the area of which extends to the whole of a State or Union Territory.

(a) "STATE" means territory defined as State in the Constitution of India.

(b) "UNION TERRITORY" means a territory defined as Union Territory in the Constitution of India.

(c) "COOPERATIVE SOCIETY" means a Society registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force in any State equivalent to block level and above primarily engaged in Marketing/ processing of agricultural produce and related activities.

(d) "Multi State Cooperative Society" means a Society registered or deemed to be registered under MSCS Act 2002 the area of operation of which extends to more than one State or Union Territory.

(e) "NATIONAL CO-OPERATIVE SOCIETY" means a Multi-State Co-operative Society as specified in the Second Schedule of the Act.

(f) "MEMBER" means a Cooperative Society/Institution or Central Government, who for the time being, is a member of the NAFED.

(g) "NOMINAL MEMBER" means a society or company or association or any other organization who has been admitted as a nominal member on payment of nominal membership fees as prescribed in these Bye-laws. Such nominal members shall not have any right or obligation applicable to regular members of the NAFED.

(h) "REPRESENTATIVE" means a person who is duly appointed by a member society in accordance with these Bye-laws or Government of India or other institutions who are qualified to attend the meetings of the General Body in accordance with these Bye-laws.

(i) "SHARE CAPITAL" means capital invested by members as provided in these Bye-laws by purchasing shares of the NAFED.

(j) "BOARD" means the Board of Directors of NAFED constituted in terms of these Bye-laws.

(k) "EXECUTIVE COMMITTEE" means the Executive Committee constituted by the Board of Directors in terms of these Byelaws.

(ठ) "व्यवसाय समिति" का अभिप्राय इन उप-विधियों के निबंधनों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित व्यवसाय समिति है।

(ड) "वित्त, लेखा, लेखा परीक्षा और आचार समिति" का अभिप्राय इन उप-विधियों के निबंधनों के अनुसार निदेशक-मंडल द्वारा गठित वित्त, लेखा, लेखा परीक्षा एवं आचार समिति है।

(डक) "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति" से अभिप्राय इन उप-विधियों के निबंधनों के अनुसार निदेशक-मंडल द्वारा गठित इस प्रकार की समिति से है।

(ढ) "परियोजना एवं विकास समिति" का अभिप्राय इन उप-विधियों के निबन्धनों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित परियोजना एवं विकास समिति है।

(ण) "उप-समिति" का अभिप्राय विशिष्ट कार्य, जो आवश्यक समझे जाएं, संपन्न करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा गठित एक समिति से है।

(त) "अध्यक्ष" का अभिप्राय निदेशक मंडल के उस सदस्य से है, जो इन उप-विधियों के निबन्धनों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा नेफेड के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित है।

(थ) "प्रबंध निदेशक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो इन उप-विधियों के निबंधनों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा नेफेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त है।

(द) "साधारण सभा" का अभिप्राय इन उप-विधियों के अनुसार सदस्यों के प्रतिनिधियों अथवा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा गठित सभा है।

(ध) "केंद्रीय पंजीयक" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 243मज के खण्ड (च) के अनुसार नियुक्त सहकारी सोसायटीज के केंद्रीय पंजीयक से है और अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन केंद्रीय पंजीयक की शक्तियों के निर्वहन में शक्तियां प्राप्त कोई अधिकारी शामिल है।

(न) "कृषि उत्पाद" के अंतर्गत उद्यान कृषि, पुष्पकृषि एवं वनोत्पाद डेरी, मुर्गीपालन, ऊन, पशु- पालन एवं सम्बद्ध उत्पादन भी होंगे।

(ऩ) "नियमों" अथवा "अधिसूचित नियमों" का अभिप्राय नेफेड पर लागू बहु-राज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बने नियमों से है।

(प) "अधिकारी" का अभिप्राय अधिनियम में परिभाषित नेफेड के अधिकारी से है।

(फ) "प्राधिकरण" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 45(1) के अधीन संस्थापित सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण है।

(ब) "सहकारी लोकपाल" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 85-क के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लोकपाल है।

(भ)(टक) "वित्त वर्ष" का अभिप्राय किसी बहु-राज्य सहकारी समिति अथवा इस श्रेणी की समितियों के संबंध में वर्ष के 31 मार्च के दिन पर समाप्त वर्ष से है और जहां पर यह समितियां अथवा इस श्रेणी की समितियां केंद्रीय रजिस्ट्रार के पिछले अनुमोदन के साथ, इस दिन पर समाप्त वर्ष का किसी अन्य दिन पर समीकृत (बैलेंस्ड) हैं;

(l) "BUSINESS COMMITTEE" means the Business Committee constituted by the Board of Directors in terms of these bye-laws.

(m) "Finance, Accounts, Audit and Ethics Committee" means the Finance, Accounts, Audit and Ethics Committee constituted by the Board of Directors in terms of these Bye-Laws.

(ma) "Committee on Prevention of Sexual Harassment at Work Place means such Committee as constituted by the Board of Directors in terms of these Bye-Laws.

(n) ''PROJECT AND DEVELOPMENT COMMITTEE'' means the Project and Development Committee constituted by the Board of Directors in terms of these Bye-laws.

(o) "SUB-COMMITTEE" means a committee constituted by the Board of Directors to undertake a specific task as may be considered necessary.

(p) "CHAIRMAN" means a member of the Board of Directors who has been elected by the Board as the Chairman of NAFED in terms of these bye- laws.

(q) "MANAGING DIRECTOR" means a person appointed by the Board of Directors as the Chief Executive Officer of the NAFED in terms of these Bye-laws.

(r) "GENERAL BODY" means a body of representatives of members and representatives of other institutions constituted in accordance with these Bye-laws.

(s) CENTRAL REGISTRAR" means the Central Registrar of Co-operative Societies appointed as per clause (f) of Article 243ZH of the Constitution read with sub-section (1) of Section 4 of the Act and includes any officer empowered to exercise the powers of the Central Registrar under Section 4(2) of the Act.

(t) "AGRICULTURAL PRODUCE" shall also include horticultural, floriculture and forest produce, dairy, poultry, wool, animal husbandry and allied products.

(u) "RULES" or "NOTIFIED RULES" means rules framed under the Multi- State Cooperative Societies Act 2002 as applicable to NAFED.

(v) "OFFICER" means officer of NAFED as defined in the Act.

(w) "Authority" means the Co-operative Election Authority established under Section 45(1) of the Act.

(x) "Cooperative Ombudsman" means the Ombudsman appointed by the Central Government under section 85-A of the Act.

(y) (ka) "financial year", in relation to any multi-State co-operative society or class of such societies, means the year ending on the 31st day of March of the year and where the accounts of such society or class of such societies are, with the previous sanction of the Central Registrar, balanced on any other day, the year ending on such day;

3. (क) उद्देश्य

नेफेड के उद्देश्यों में कृषि, उद्यान कृषि एवं वन उत्पाद का विपणन, प्रसंस्करण, भण्डारण की व्यवस्था करना, उन्नयन और विकास करना, कृषि यंत्रों, उपकरणों एवं अन्य निवेशों का वितरण करना, अंतर्राज्यीय, राज्यान्तर्गत, यथास्थिति थोक या खुदरा, आयात-निर्यात व्यापार करना, भारत में इसके सदस्यों एवं सहकारी विपणन, प्रसंस्करण एवं संभरण समितियों के उन्नयन एवं कृषि के लिए कृषि उत्पादन में सहायता और तकनीकी परामर्श देने का कार्य करना शामिल है। इन उद्देश्यों के उन्नयन के लिए नेफेड निम्न क्रिया-कलापों में से एक अथवा अधिक प्रारंभ कर सकता है:

(i) सहकारी संस्थाओं, भागीदारों और सहयोगियों की कृषि तथा अन्य पण्यों, वस्तुओं एवं माल के विपणन और व्यापार संबंधी क्रियाकलापों के लिए सुविधा, समन्वय और उन्नयन (प्रमोट);

(ii) निजी अथवा सदस्य संस्थाओं, सरकार या सरकारी संगठनों की ओर से अंतर्राज्यीय, राज्यांतर्गत एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य करना अथवा उनका उन्नयन और जहां कहीं आवश्यक हो अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों के लिए विभिन्न स्रोतों से कृषि, उद्यान कृषि एवं वन उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं एवं माल के क्रय-विक्रय, आयात-निर्यात तथा वितरण का कार्य करना तथा भारत सरकार अथवा सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत कृषि तथा अन्य पण्यों, वस्तुओं के आयात-निर्यात एवं अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए सारणीबद्ध एजेंसी के रूप में कार्य करना तथा इन कार्यकलापों की सुविधा के लिए जहां कहीं आवश्यक हो शाखा/उप-कार्यालय खोलना और देश अथवा विदेश में किसी भी स्थान पर एजेंट नियुक्त करना;

(iii) कृषि उत्पाद तथा खाद, बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण और मशीनरी, पैकिंग मशीनरी, निर्माण सामग्री, कृषि पण्यों, वन उत्पादों, डेरी, ऊन एवं अन्य पशु उत्पादों की प्रसंस्करण मशीनरी जैसी विपणन एवं प्रसंस्करण संबंधी आवश्यक सामग्री का क्रय-विक्रय एवं संभरण;

(iv) भंडारागार अधिनियम के अंतर्गत भंडारागारी के रूप में कार्य करना और अपने (वैयरहाउसमेन) गोदामों एवं शीत भण्डारों का अर्जनएवं उनका निर्माण करना;

(v) कृषि, उद्यान कृषि, वन एवं पशु उत्पाद ऊन, कृषि सामग्री और अन्य उपभोक्ता माल के क्रयविक्रय - के लिए किस भण्डारण एवं वितरण सरकारी एजेंसी अथवा सहकारी संस्था के एजेंट के रूप में कार्य करना;

(vi) बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना तथा ऐसे ही समस्त प्रासंगिक कार्य करना;

(vii) सामान्य रूप से सहकारी संस्थाओं और विशिष्ट रूप से इसके सदस्यों के हित में विभिन्न क्षेत्रों में परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था करना;

3(A) Objects

The objects of the NAFED shall be to organize, promote and develop marketing, processing and storage of agricultural, horticultural and forest produce, distribution of agricultural machinery, implements and other inputs, undertake inter-state, import and export trade, wholesale or retail as the case may be and to act and assist for technical advice in agricultural, production for the promotion and the working of its members, partners, associates and cooperative marketing, processing and supply societies in India. In furtherance of these objectives, the NAFED may undertake one or more of the following activities.

(i) to facilitate, coordinate and promote the marketing and trading activities of the cooperative institutions, partners and associates in agricultural, other commodities, articles and goods;

(ii) to undertake or promote on its own or on behalf of its member Institutions or the Government or Government Organizations, Inter-State and international trade and commerce and undertake, wherever necessary, sale, purchase, import, export and distribution of agricultural commodities, horticultural and forest produce, other articles and goods from various sources for pursuing its business activities and to act as the agency for canalization of export and import and interstate trade of agricultural and other commodities or articles under any scheme formulated by the Government of India or other Government agencies and to facilitate these activities, wherever necessary, to open branches/sub-offices and appoint agents at any place within the country or abroad;

(iii) to undertake purchase, sale and supply of agricultural, marketing and processing requisites, such as manure, seeds, fertilizer, agricultural implements and machinery, packing machinery, construction requisites, processing machinery for agricultural commodities, forest produce, dairy, wool and other animal products;

(iv) to act as warehouseman under the Warehousing Act and own and construct its own godowns and cold storages;

(v) to act as agent of any Government agency or cooperative institution, for the purchase, sale, storage and distribution of agricultural, horticultural, forest and animal husbandry produce, wool, agricultural requisites and other consumer goods;

(vi) to act as insurance agent and to undertake all such work which is incidental to the same;

(vii) to organize consultancy work in various fields for the benefit of the cooperative institutions in general and for its members in particular;

(viii) स्वतः या किसी अन्य एजेंसी के सहयोग से या संयुक्त उपक्रम के रूप में निर्माणकर्ता यूनिटों की स्थापना करके कृषि यंत्रों एवं उपकरणों, प्रसंस्करण, पैकिंग आदि और अन्य उत्पादन सामग्रियों तथा उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करना और मशीनों, उपकरणों को क्रियाशील रखने के लिए अतिरिक्त/कलपूर्जों का आयात और वितरण करना।

(ix) विभिन्न पण्यों (कमोडिटीज) एवं माल के भण्डारण के लिए निजी आधार पर अथवा अन्य किसी एजेंसी के सहयोग से भारत या विदेश में भण्डारण यूनिटों की स्थापना करना;

(x) माल को थल, जल अथवा आकाश मार्ग से लेजाए जाने के लिए निजी आधार पर अथवा अन्य किसी संस्था के सहयोग से भारत में अथवा विदेश में परिवहन यूनिट बनाए रखना और चुंगी स्टेशन (फ्रेट), कंटेनर डिपो संचालित करना तथा अन्य प्रासंगिक कार्य करना;

(xi) भारत अथवा विदेश में पारस्परिक हित में सहकारी विपणन, प्रसंस्करण और अन्य क्रियाकलापों के विकास के लिए किसी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी अथवा विदेशी निकाय से सहयोग करना;

(xii) विपणन अन्वेषण एवं विपण आसूचना का प्रसार करना;

(xiii) जब कभी नेफेड के उद्देश्यों के संपादन के लिए आवश्यक हो, अन्य सहकारी संस्थाओं और साथ ही अन्य सार्वजनिक, संयुक्त और निजी क्षेत्र के उद्यमों की शेयर पूंजी में अभिदाय करना (सब्सक्राइब);

(xiv) विपणन/प्रसंस्करण/संभरण (सप्लाई) सहकारी समितियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना;

(xv) हटा दिया गया है।

(xvi) कृषि, उद्यान-कृषि एवं वन उत्पाद, ऊन और संबद्ध उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करना;

(xvii) कृषि उत्पाद एवं अन्य वस्तुओं के श्रेणीकरण, पैकिंग, मानकीरण, वैज्ञानिक संरक्षण और प्रसंस्करण का कार्य करना;

(xviii) नेफेड के व्यवसाय के संबंध में भूभाग, भवन, सज्जा सामग्री और वाहनों का अर्जन, पट्टे पर या किराए पर लेना और उन्हें बेचना, पट्टे पर या किराए पर देना;

(xix) अपने सदस्यों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं को माल की प्रतिभूति पर अथवा अन्यथा अग्रिम ऋण देना;

(xx) किसी ऐसी समिति अथवा कंपनी जिसमें संघ के शेयर हों अथवा जिससे उन्नायक (प्रोमोटर) के रूप में वित्तीय आधार पर सहबद्धता हो, को उसके विकास अथवा प्रसार में सहायता देने अथवा ऐसी समितियों/कम्पनियों द्वारा किसी औद्योगिक उपक्रम को प्रारंभ करने के लिए ऋण अथवा अग्रिम राशि प्रत्याभूत (गारंटी) करना या उसके लिए वचन देना;

(xxi) किसी वित्तीय संस्था को ऊपरलिखित समिति अथवा कंपनी की ओर से ऋण या अग्रिम प्रत्याभूत करना या उसके लिए वचन देना (गारंटी);

(xxii) ऐसे सभी कार्य करना या ऐसे व्यवसाय अथवा क्रियाकलाप आरंभ करना जो उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी एक अथवा सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हों।

(viii) to undertake manufacture of agricultural, machinery and implements, processing, packing, etc. and other production requisites and consumer articles by setting up manufacturing units either directly or in collaboration with or as a joint venture with any other agency, including import and distribution of spare-parts and components to up-keep of the machinery/ implements;

(ix) to set up storage units for storing various commodities and goods, by itself or in collaboration with any other agency in India or abroad;

(x) to maintain transport units of its own or in collaboration with any other organization in India or abroad for movements of goods on land, sea, air and operate freight station, container depot and undertake other incidental activities;

(xi) to collaborate with any international agency or a foreign body for development of cooperative marketing, processing and other activities for mutual advantage in India or abroad;

(xii) to undertake marketing research and dissemination of market intelligence;

(xiii) to subscribe to the share capital and undertake business collaboration with cooperative institutions, public, joint and private sector enterprises, if and when considered necessary for fulfilling the objectives of NAFED;

(xiv) to arrange for the training of employees of marketing/ processing/supply cooperative societies;

(xv) Deleted;

(xvi) to establish processing units for processing of agricultural, horticultural and forest produce, wool and allied products;

(xvii) to undertake grading, packing, standardization, scientific treatment and process of agricultural produce and other articles;

(xviii) to acquire, take on lease or hire, lands, buildings, fixtures and vehicles and to sell, give on lease or hire them for the business of NAFED.

(xix) to advance loans to its members and other cooperative institutions on the security of goods or otherwise;

(xx) to guarantee loans or advances or give undertakings to any Society or Company in which the Federation has a shareholding or financial involvements as a promoter to be able to assist its development or expansion or for starting any industrial undertaking by such societies/companies;

(xxi) to guarantee loans or advances or give undertakings on behalf of any such society or company as mentioned above to any financing institutions:

(xxii) to do all such things or undertake such other business or activities as may be incidental or conducive to the attainment of any or all of the above objects.

3.(ख) नेफेड के उद्देश्य/कार्य

(ख)(1) अधिनियम की धारा 24, खण्ड (1) और (2) (क) से (ड) के प्रावधानों और विद्यमान में लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अध्यधीन नेफेड द्वारा स्वयं सहायता एवं पारस्परिक सहायता के आधार पर सहकारी समितियों को संघीय समिति या बहु-राज्य सहकारी समिति के रूप में इनके गठन में इनकी सहायता और लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने की दिशा में अपनी भूमिका निभाना।

(ख)(2) अधिनियम की उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रावधानों की अनुकूलता पर प्रभाव डाले बिना, नेफेड निम्नलिखित कार्य कर सकता है:-

(ख)(2)(क) सहकारिता सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ख)(2)(ख) अपनी सदस्य सहकारी समितियों के विचारार्थ आदर्श उप-विधियां और नीतियां तैयार करना;

(ख)(2)(ग) विशेषज्ञता प्रशिक्षण, शिक्षा और आंकडे आधारित सूचनाएं उपलब्ध करवाना;

(ख)(2)(घ) अनुसंधान, मूल्यांकन के कार्य करना और अपनी सदस्य सहकारी समितियों के द्वारा भावी विकास योजनाओं की तैयारी में सहयोग देना;

(ख)(2)(ड.) सदस्य सहकारी समितियों के बीच सौहार्दपूर्ण संपर्क संवर्धित करना;

(ख)(2)(च) सदस्य सहकारी समितियों के विवादों के आपसी निपटान में सहयोग देना;

(ख)(2)(छ) यदि किसी सदस्य सहकारी समिति की साधारण सभा अथवा निदेशक मंडल के प्रस्ताव के द्वारा विशेष अपेक्षा की गई हो अथवा उप-विधियों में उल्लेख किया गया हो तो अपनी सदस्य सहकारी समितियों की ओर से व्यावसायिक कार्य करना;

(ख)(2)(ज) सदस्य सहकारी समिति को प्रबंधन विकास सेवाएं उपलब्ध करवाना;

(ख)(2)(झ) सदस्य सहकारी समिति के पालन हेतु आचार संहिता तैयार करना;

(ख)(2)(ञ) सदस्य सहकारी समिति के लिए व्यवहारिक मान-दण्ड तैयार करना;

(ख)(2)(ट) सदस्य सहकारी समिति को विधिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध करवाना;

(ख)(2)(ठ) सदस्य सहकारी समिति को स्वयं सहायता में सहयोग देना;

(ख)(2)(ड) विपण आसूचना पद्धति का विकास, लोगो ब्रांड का संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण और तकनीकी सुधार।

3(B) Objects/(Functions)

(B)(1) Subject to the provisions of Section 24 Clause (1) & (2) (a) to (m) of the Act and any other law for the time being in force, NAFED may discharge the functions to facilitate the voluntary formation and democratic functioning of cooperative societies as federal cooperative or multi-State Cooperatives based on self-help and mutual aid.

(B)(2) without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1) NAFED may –

(B)(2)(a) ensure compliance of the cooperative principles;

(B)(2)(b) make model bye-laws and policies for consideration of its member co-operatives;

(B)(2)(c) provide specialized training, education and data-base information;

(B)(2)(d) undertake research, evaluation and assist in preparation of perspective development plans for its member cooperative;

(B)(2)(e) promote harmonious relations amongst member cooperative;

(B)(2)(f) help member cooperative to settle disputes among themselves;

(B)(2)(g) undertake business services on behalf of its member cooperative, if specifically required by or under the resolution of the general body or the Board, or bye-laws of a member co-operative;

(B)(2)(h) provide management development services to a member cooperative;

(B)(2)(i) evolve code of conduct for observance by a member cooperative;

(B)(2)(j) evolve viability norms for a member cooperative;

(B)(2)(k) provide legal aid and advice to a member co-operative;

(B)(2)(l) assist member co-operative in organizing self-help;

(B)(2)(m) develop market information system, logo brand promotion, quality control and technology up gradation.

4. <u>सदस्यता</u>

4(क) नेफेड की सदस्यता के निम्नलिखित वर्ग होंगे;

(क)(i) संघ-शासित राज्य क्षेत्रों को छोड़कर राज्य स्तरीय सामान्य प्रयोजन वाले सहकारी विपणन संघ;

(क)(ii) संघ शासित राज्य क्षेत्रों के लिए शीर्ष स्तरीय सहकारी विपणन संघ;

(क)(iii) बहु-राज्य सहकारी सोसायटीयां एवं राज्य स्तरीय सहकारी संघ जैसे विशेष पण्य संघ, आदिवासी सहकारी संघ एवं आदिवासी सहकारी विकास निगम जो प्राथमिक रूप से कृषि, गौण वन एवं सम्बद्ध उत्पादों, कृषि सामग्री और उपभोक्ता वस्तुओं के विपणन, प्रसंस्करण या वितरण में संलग्न हैं या संलग्न रहने के लिए बनाए गए हों;

(क)(iv)(1) उपरोक्त क्रम संख्या 4 (क) (i) 4(क) (ii) और 4(क) (iii) के अंतर्गत न आने वाली संस्थाएं जैसे सहकारी विपणन / प्रसंस्करण समितियां जो कृषि, गौण वन एवं सम्बद्ध उत्पादों के विपणन और/अथवा प्रसंस्करण और/अथवा कृषि निवेशों में संलग्न हैं तथा जिनका सदस्यता के लिए आवेदन-पत्र भेजने की तारीख से पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के दौरान इन कार्यों में न्यूनतम पण्यावर्त (सेल्ज टर्नओवर) 50 लाख रुपये अथवा अधिक हो किंतु भारत सरकार द्वारा परिभाषित सहकारिता के क्षेत्र में पिछड़े राज्यों की ऐसी सहकारी समितियों के संबंध में न्यूनतम पण्यावर्त (बिक्री कारोबार) केवल 25 लाख रुपए होगा;

4 (क)(iv)(2) उप-विधि संख्या 4 (क) (ii) एवं (iv) (1) के अंतर्गत शामिल सिक्किम सहित उत्तर- पूर्वी राज्यों में प्राथमिक सहकारी विपणन / प्रसंस्करण समिति और इसके साथ-साथ केन्द्र शासित प्रदेशों के शीर्ष स्तरीय सहकारी विपणन संस्थानों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम अंश पूंजी 50,000/- रु. (2,500- 2,500 रु. के 20 अंश) होगी और अन्य राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के लिए यह 1,00,000/- रु. (2,500-2,500 रु. के 40 अंश) होगी।

(क)(iv)(3) उपविधि 4(क)(iii) के अंतर्गत शामिल सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में सदस्यता की पात्र बहु राज्य सहकारी सोसायटीज और राज्य स्तरीय पण्य संघों तथा अन्य संघों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम अंशपूंजी 2,50,000/-रु. (25,000-25,000 रु. के 10 अंश) होगी तथा अन्य राज्यों/संघ शासित राज्यों के लिए यह 5,00,000/-रु. (25,000-25,000 रु. के 20 अंश) होगी।

(क)(iv)(4) उप-विधि संख्या 4 (क) (i) के अंतर्गत शामिल राज्यों में राज्य स्तरीय सामान्य प्रयोजन के सहकारी विपणन संघों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम अंशपूंजी 50,00,000/- रु. (25,000- 25,000 रु. के 200 अंश) होगी। सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए अंशदान 7,00,000/-रु. (25,000-25,000 रु. के 28 अंश) होगा। इसके अतिरिक्त, उप-विधि संख्या 4 (क) (viii) के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों के लिए यह 2,00,00,000/-रु. (25,000-25,000 रु. के 800 अंश) होगी। उप-विधि संख्या 4 (क) (v) (vi) और (vii) के अन्तर्गत शामिल भारत सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और अन्य सरकारी संस्थाओं/उपक्रमों के द्वारा अंशदान करने की मात्रा पूर्णतः उनके विवेक पर निर्भर होगी और तदनुसार उन्हें शेयर जारी किए जाएंगे।

Membership

4. (a) The membership of NAFED shall consist of the following categories:

(a)(i) State-level general-purpose cooperative marketing federations excluding Union Territories;

(a)(ii) Apex-level cooperative marketing organizations for Union Territories;

(a)(iii) Multi State Cooperative Societies and State level Cooperative Federations like special commodity federations, tribal cooperative federations and tribal cooperative development corporations, engaged or designed to engage primarily in the marketing, processing or distribution of agriculture, minor forest and allied produce, agricultural requisites and consumer goods:

(a)(iv)(1) Cooperative marketing/Processing Societies other than those covered under items 4(a)(i), (a)(ii) & (a)(iii) above, engaged in the marketing and/or processing of agricultural, minor forest and allied produce and/or agricultural inputs and having a minimum sales turnover of Rs.50 lacs or above in these activities during the cooperative year preceding the date of application for membership provided however, that the minimum sales turnover in respect of such cooperatives in cooperatively backward States, as defined by the Govt. of India, shall be Rs.25 lacs only;

(a)(iv)(2) The minimum share capital to be contributed by the Primary Cooperative Marketing/Processing Society as well as Apex level Cooperative Marketing Institutions for Union Territories covered under byelaw 4(a)(ii) and (iv)(1) shall be Rs.50,000/- (20 shares of Rs.2,500/- denomination each) for North Eastern States including Sikkim and Rs.1,00,000/- (40 shares of Rs.2,500/- denomination each for other States/ Union Territories.

(a)(iv)(3) The minimum share capital to be contributed by the Multi State Cooperative Societies and State Level Commodity Federations and other organizations eligible for membership under byelaw 4(a)(iii) shall be Rs. 2,50,000 (10 shares of Rs. 25,000/- denomination each) for North Eastern States including Sikkim and Rs. 5,00,000/- (20 shares of Rs. 25,000/- denomination each) for other States/Union Territories.

(a)(iv)(4) The minimum share capital to be contributed by State level General Purpose Cooperative Marketing Federations covered under byelaw 4(a)(i) shall be Rs.50,00,000 (200 shares of Rs.25,000/- denomination each) for States. In the case of North Eastern States including Sikkim, the contribution shall be Rs.7,00,000 (28 shares of Rs.25,000/- denomination each). Further, in the case of National Level Coop. Organizations covered under byelaw 4(a)(viii), the minimum contribution shall be Rs.2,00,00,000 (800 shares of Rs.25,000/- denomination each). The share capital to be contributed by the Govt. of India, National Cooperative Development Corporation and other Government. organizations/undertakings covered under byelaw 4(a)(v), (vi) and (vii) shall be solely at their discretion and shares be subscribed accordingly.

(क) (iv)(5) हटा दिया गया।

(क) (v) भारत सरकार

(क) (vi) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

(क) (vii) अन्य सरकारी संगठन/उपक्रम और

(क) (viii) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और राष्ट्रीय स्तर का अन्य कोई सहकारी संगठन।

4. (ख) नेफेड भारत सरकार, सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा गृहित शेयरों को ऐसे समय और ऐसी पद्धति से समाप्त कर सकता है जिसके लिए, यथास्थिति, नेफेड और भारत सरकार/सरकारी संगठन/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में सहमति हो।

<u>नामिक (नोमिनल) सदस्यता</u>

4(ग) उपरोक्त उप-विधि संख्या 4 (क) के अन्तर्गत न आने वाली ऐसी समितियों/संस्थाओं जिनके साथ नेफेड व्यवसाय, माल का भण्डारण और विक्रय की व्यवस्था करना चाहे, को नामित सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है बशर्ते कि इस प्रकार की सदस्यता का आवेदन-पत्र 5,00,000/- रुपये प्रवेश शुल्क के साथ प्राप्त हुआ हो और नेफेड के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत स्वीकृत कर लिया गया हो। इस प्रकार का प्रवेश शुल्क किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा। किन्तु, इस प्रकार के सदस्यों को मत देने अथवा वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने या इसके लाभ अथवा देयताओं में भागी होने का कोई अधिकार नहीं होगा।

<u>सदस्यता देने और अंशों का आवंटन</u>

5. सदस्यता और शेयरों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र, इस प्रयोजन के लिए नेफेड द्वारा विहित फार्म पर, यदि कोई हो, प्रबन्ध निदेशक को भेजने होंगे। ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र का निपटान निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसे प्रवेश देने अथवा अस्वीकृति के कारणों को लिखने के उपरान्त अस्वीकार करने का अधिकार होगा। किन्तु, जिसका आवेदन-पत्र निदेशक मंडल ने अस्वीकृत कर दिया है, वह समिति/ व्यक्ति साधारण सभा के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकता है और यदि साधारण सभा ऐसा निर्देश दे तो वह नेफेड द्वारा सदस्य बनाया जाएगा। साधारण सभा का निर्णय अंतिम होगा।

<u>प्रवेश शुल्क</u>

6. नामिक (नोमिनल) सदस्य के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य 1000/- रुपये प्रवेश शुल्क देगा, जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा।

(a)(iv)(5) Deleted,

(a)(v) Government of India;

(vi) NCDC National Cooperative Development Corporation.

(vii) Others Govt. Organizations /Undertakings and

(viii) National Cooperative Consumer's Federation and any other National-level cooperative organization.

4(b) The NAFED may retire the shares held by the Government of India, Government Organizations and the National Cooperative Development Corporation at such time and in such manner as may be agreed upon between it and the Government of India/Government Organizations/ National Cooperative Development Corporation as the case may be.

Nominal Membership

4(c) Such other societies/ institutions not covered by byelaw 4(a) above, with whom the NAFED is likely to do business or store goods, or arrange sale thereof, provided the application for admission to such membership is received along with the admission fee of Rs.5,00,000/- and is duly accepted by the Board of Directors, may be admitted as nominal/associate members. Such admission fee shall not be refundable in any case. Such members will, however, not carry right to vote or participate in the management of the Federation or in the sharing of its profits or liabilities.

Admission and Allotment of Shares

5. Applications for admission as members and for allotment of shares shall be made to the Managing Director in the form if any, prescribed by NAFED for the purpose. Every such application shall be disposed of by the Board of Directors, who shall have power to grant admission or to refuse it after recording reasons for such refusal, provided, however, that society whose application has been refused by the Board of Directors, may appeal to the General Body and if the General Body so directs it shall be admitted as a member by NAFED. The decision of the General Body shall be final.

Admission Fee

6. Every member other than a nominal member shall pay Rs.1000/- as admission fee, which shall not be refunded in any case.

<u>सदस्य के अधिकार</u>

7. यदि निदेशक मंडल ने सदस्यता के लिए कोई आवेदन-पत्र स्वीकृत कर दिया है और आवेदक ने आवेदन-पत्र के साथ प्रवेश शुल्क तथा शेयर राशि भी दे दी है तो बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों और इन उप-विधियों के अनुसार, उसे नेफेड के एक सदस्य के संपूर्ण अधिकार, बाध्यताएं एवं देयताएं उपगत समझी जाएंगी।

<u>सदस्यता आहरण (विदड्राल), निरस्त और निष्कासन</u>

8. सदस्यता निम्न-स्थितियों में समाप्त हो जाएगीः

(i) सदस्य समिति का पंजीकरण निरस्त होने पर ;

(ii) समस्त शेयर पूंजी के उन्मोचन (रिडेम्पशन) / आहरण (विदड्राल) होने पर;

(iii) उप-विधि सं० 9 के अन्तर्गत सदस्यता से निष्कासन पर;

9. (क) नेफेड के (नोमिनल) सदस्य सहित किसी भी सदस्य को, इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई साधारण सभा की विशेष बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों द्वारा निष्कासित किया जा सकता है;

(i) यदि यह जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है, जिससे नेफेड की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचे अथवा वह नेफेड के कार्यों के संबंध में अनुशासन का समुचित पालन न करे;

(ii) यदि वह ऐसा कोई कार्य करता है जिसे नेफेड का निदेशक मंडल या साधारण सभा बेईमानी अथवा नेफेड के कथित उद्देश्यों के विपरीत या संघ के हित के विरूद्ध समझे ;

(iii) यदि वह नेफेड के प्रति अपनी बाध्यताओं का पालन करने में असफल रहता है अथवा चूक करता रहता है;

9. (ख) निष्कासित किए जाने वाले सदस्य को निष्कासन से पूर्व, अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरान्त निदेशक मंडल इस सदस्य को निलम्बित कर सकता है और निदेशक मंडल निलम्बन की तारीख के एक महीने के अन्दर साधारण सभा की बैठक बुलाएगा। सदस्यता का निरसन (टर्मिनेशन) निष्कासन की तारीख अथवा निष्कासन के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट तारीख से माना जाएगा।

<u>सदस्यता की जमा राशि</u>

10. नेफेड को किसी ऐसे सदस्य को दिए गए ऋण के संबंध में शेयर या अंशदान या पूंजी के ब्याज पर और किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा दिवंगत सदस्य के जमा खातों पर और किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा दिवंगत सदस्य को सम्पदा के प्रति दिए गए ऋण के संबंध में नेफेड को ऐसे सदस्य के शेयर या अंशदान या पूंजी के ब्याज और जमा खातों, देय लाभांश, बोनस, लाभ से अथवा सम्पदा से उस ऋण का भुगतान करने का पूरा अधिकार होगा और वह जमा या देय राशि में से कोई राशि पृथक रख सकता है।

Rights of Member

7. When an applicant has been admitted to membership by the Board of Directors and it has paid its admission fee and share money, it shall be deemed to have acquired all the rights and incurred all the obligations and liabilities of a member of NAFED, as laid down in the Multi State Cooperative Societies Act 2002, the Rules made there under and these Bye-laws.

Withdrawal, Cancellation and Expulsion of Membership

8. The membership shall cease :

(i) on cancellation of the registration of the Member Society;

(ii) on redemption/withdrawal of the entire share capital.

(iii) on expulsion from membership under Bye-law No. 9.

9.(a) A member including a nominal member of NAFED may be expelled by two-thirdof the members present at a special General Meeting called for the purpose;

(i) if it intentionally does any act likely to injure the credit of NAFED or fails to observe proper discipline in regard to work of NAFED;

(ii) if it does any act which may be held by the Board of Directors or a General Body of NAFED to be dishonest or contrary to the stated objects of NAFED or to the interest of the Federation;

(iii) if it persistently defaults or fails to carry out its obligations to the NAFED.

9. (b) Before expulsion, the member to be expelled will be given an opportunity to explain its position. After the explanation has been considered, the member may be suspended by the Board of Directors, which shall then call a General Meeting within one month from the date of suspension. Termination of membership shall take effect from the date of expulsion or such date as may be specified in the resolution of expulsion.

Deposits by Members

10. NAFED shall have a charge upon the share or contribution or interest in the capital and on the deposits of a member or past member, or deceased member and upon any dividend, bonus or profits payable to a member or past member or the estate of a deceased member in respect of any debt due from such member or past member or the estate of such deceased member to the NAFED, and may set-off any sum credited or payable to a member or past member or the estate of deceased member in or towards payment of any such debt.

<u>निधि का अंतरण (ट्रांसफर ऑफ फंड)</u>

11. कोई सदस्य या भूतपूर्व सदस्य अधिनियम, अधिसूचित नियमों और इन उप-विधियों के उपबंधों के अध्यधीन अपने शेयर, किसी अन्य सदस्य अथवा इन उप-विधियों के अन्तर्गत अर्हता (क्वालीफाइड), प्राप्त तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आवेदक को अथवा शेयर अन्तरण निधि में अन्तरित कर सकता है।

<u>पूंजी (निधियां)</u>

12. (क) नेफेड निम्नलिखित एक या अधिक स्रोतों से अपनी निधियां बना सकता हैः

(क) (i) प्रवेश शुल्क

(क) (ii) अंश पूंजी

(क) (iii) ऋण और जमा

(क) (iv) सहायता-अनुदान और दान, तथा

(क) (v) लाभ

इसमें प्रावधान है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त जमा और ऋण की कुल राशि नेफेड की अपनी गतिविधियों के लिए अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। किन्तु भारत सरकार की ओर से किए जाने वाले कार्यों के लिए ऋणों और अग्रिमों को भारत सरकार के निर्देशों/प्राधिकरण के अनुसार नियमित करने का अतिरिक्त प्रावधान होगा।

उप पैरा हटा दिया गया है।

12.(ख) संघ की प्राधिकृत शेयर <u>पूंजी 100 करोड़ रुपये</u> होगी, जिसमें निम्न का समावेश होगा :

ख (i) 25,000/- रु. प्रति शेयर की दर से 30,000 शेयरों का अभिदान जो उप-विधि 4(क) (i) (iii), (v), (vi), (vii) और (viii) के अन्तर्गत वर्गीकृत सदस्यों द्वारा होगा। यदि उस वर्ग में संपूर्ण अंश जारी किए जा चुके हों तो उप-विधि संख्या 4 (क) (ii) और (iv) (1) के अन्तर्गत शामिल वर्ग के सदस्यों को अंशदान की अनुमति दी जाएगी।

ख(ii) 2,500/- रु. प्रति शेयर की दर से 1,00,000 शेयरों का अभिदान जो उप-विधि 4 (क) (ii) और (iv) (1) के अन्तर्गत वर्गीकृत सदस्यों द्वारा होगा। यदि उस वर्ग में संपूर्ण अंश जारी किए जा चुके हों तो उप-विधि संख्या 4 (क) (i), (iii), (v),(vi), (vii) और (viii) के अन्तर्गत शामिल वर्ग के सदस्यों को अंशदान की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि पहले से जारी किए हुए 1000/- रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 1721 शेयर और 5000/- रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 34 शेयरों में कोई हेर-फेर नहीं किया जाएगा और न ही ये कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी को प्रभावित करेंगे।

Transfer of Fund

11 Subject to the provisions of the Act, notified rules and these Byelaws, a member or an ex-member may transfer its shares to another member or applicant qualified under these Byelaws and approved by the Board or to a share transfer fund.

Capital (Funds)

12 (a) NAFED may raise funds from one or more of the following sources:

(a)(i) Admission fees,

(a)(ii) Share Capital,

(a)(iii) Loans and Deposits,

(a)(iv) Grants-in-aid and donations, and

(a)(v) Profits.

Provided that the total amount of deposits and loans received during any financial year shall not exceed the limit as prescribed in the Act and Rules in respect of NAFED's own activities. Provided further that loans and advances on account of operations on behalf of Government of India will be regulated in accordance with Government directions/authorization.

Sub-Para - Deleted

12(b) The authorized share-capital of the Federation shall be Rs.100 crores consisting of;

(b)(i) 30000 shares of Rs.25,000/- each to be subscribed by the members categorized under byelaw 4(a)(i), (iii), (v), (vi), (vii) and (viii).

Subscription to be allowed to members categorized under byelaw 4(a)(ii) and (iv)(1) in case that category is fully subscribed.

(b)(ii) 1,00,000 shares of Rs.2,500/- each to be subscribed by the members categorized under byelaw 4(a)(ii) and (iv)(1).

Subscription to be allowed to members categorized under byelaw 4(a)(i), (iii), (v), (vi), (vii) and (viii) in case that category is fully subscribed.

Provided 1721 shares of Rs.1,000/- each and 234 shares of Rs.5,000/- each already issued shall not be disturbed and shall not effect the total of the authorized share capital.

<u>दायित्व</u>

13. समापन की स्थिति में नेफेड की परिसम्पत्ति में हुई किसी कमी के प्रति शेयर- धारियों का दायित्व उनके द्वारा अभिदत्त (सब्सक्राईब्ड) शेयर पूंजी तक सीमित होगा।

<u>साधारण सभा में प्रतिनिधित्व</u>

14. नेफेड की साधारण सभा में उप-विधि 4 (क) के अन्तर्गत बनाए गए सदस्यों में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि होगा और उप-विधि 21 के अन्तर्गत दो सहयोजित निदेशकों सहित नेफेड के निदेशक मंडल में अन्य संस्थाओं/संगठनों के निदेशक होंगे।

15. उप-विधि 14 के अनुसार प्रत्येक पात्र सदस्य समिति, केन्द्रीय सरकार और अन्य संस्थाएं नेफेड की साधारण सभा में अपने प्रतिनिधि नामित करेंगी तथा सक्षम प्राधिकारियों, प्रस्तावों की सत्यापित प्रतियां अथवा नामांकन दस्तावेजों की प्रतियां प्रबन्ध निदेशक को भेजेंगी। इस प्रकार के प्रस्तावों/दस्तावेजों में उस अवधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा, जिसके लिए ऐसे नामित प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते रहेंगे।

<u>साधारण सभा की वार्षिक बैठक</u>

16. (क) निदेशक मंडल तदनुरूपी वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के अन्दर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वार्षिक साधारण सभा की बैठक बुलाएगा

(i) वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना;

(ii) खातों के लेखा परीक्षित विवरण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उसके अनुपालन पर विचार करना;

(iii) शुद्ध लाभ का निपटान करना;

(iv) विशेष आरक्षित एवं अन्य निधियों, यदि कोई है, का सर्जन;

(v) वार्षिक व्यावसायिक बजट का अनुमोदन;

(vi) सदस्यों का निष्कासन;

(vii) उन कर्मचारियों की सूची तैयार करना जो निदेशक मंडल के सदस्यों या मुख्य कार्यकारी के रिश्तेदार हैं;

Liability

13. In the event of liquidation, the liability of the shareholders for any deficit in the assets of NAFED shall be limited to the share capital subscribed by them.

.

Representation on the General Body

14 The General Body of NAFED shall consist of one representative each of the members admitted under Bye-law 4(a) and the Directors of other organizations/institutions on the Board of Directors of NAFED under Bye-law 21 including the two co-opted Directors.

15. Every member society, the Central Government and other organizations eligible to send representatives as per Bye-law 14 shall nominate their representatives on the General Body of NAFED and certified copies of the resolutions of the competent authorities or copies of the instrument of nomination shall be sent to the Managing Director. Such resolutions/instruments should specify the period for which such nominees will continue to represent them.

Annual Meeting of the General Body

16. (a) The Board shall within six months after the close of the corresponding yearcall the Annual General Meeting for the purpose of the following;

(i) consideration of annual report;

(ii) consideration of audited statement of accounts, audit report and compliance thereof;

(iii) disposal of net profit;

(iv) creation of specific reserves and other funds, if any;

(v) approval of the annual business budget;

(vi) expulsion of members;

(vii) list of employees who are relatives of the members of the Board or Chief Executive;

(viii)) उप-विधियों में संशोधन करना, यदि कोई है;

(ix) निदेशक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन, यदि कोई हो;

(x) अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों के अनुसार नेफेड की अधिकतम ऋण सीमा नियत करना;

(xi) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना;

(xii) संचालित घाटे, यदि कोई है, की समीक्षा;

(xiii) आरक्षित एवं अन्य निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा;

(xiv) दीर्घकालिक भावी योजना और वार्षिक योजना का अनुमोदन;

(xv) सहायक संस्था, यदि कोई है, के वार्षिक प्रतिवेदन और खातों की समीक्षा;

(xvi) निदेशक मंडल के सदस्यों और अधिकारियों के लिए आचार संहिता तैयार करना;

साधारण सभा की विशेष बैठक

16(कक) निदेशक मंडल साधारण सभा की विशेष बैठक किसी भी समय बुला सकता है और कुल सदस्यों में से 1/5 सदस्यों की मांग अथवा सहकारी समितियों के पंजीयक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की मांग प्राप्ति की तारीख के एक महीने के अन्दर प्रबन्ध निदेशक द्वारा विशेष बैठक बुलाई जाएगी।

साधारण सभा की विशेष/आम बैठक की सूचना

16(ख) साधारण सभा की वार्षिक बैठक की तारीख, समय और स्थान कम से कम 21 दिन पूर्व और विशेष साधारण सभा की बैठक के लिए कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर घोषित किए जाएंगे। साधारण सभा की बैठक की सूचना प्रतिनिधियों को बैठक की इस सूचना के भेजे जाने के 24 घंटे उपरान्त दे दी गई समझी जाएगी, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रेषण के प्रमाण कार्यालय में आरक्षित किए गए हों।

(viii) amendments of the byelaws, if any;

(ix) election of the members of the Board, if any;

(x) To fix the maximum borrowing limit of NAFED in accordance with provisions of the Section 67 of the Act.

(xi) Appointment of statutory auditors in accordance with provisions of the Act.

(xii) review of operational deficit, if any;

(xiii) review of actual utilization of reserves and other funds;

(xiv) approval of long term perspective plan and the annual plan;

(xv) review of annual report and accounts of subsidiary institutions, if any,

(xvi) formulations of code of conduct for the members of the Board and officers.

Special Meeting of the General Body

16(aa) A special General Body Meeting may be called at any time by the Board of Directors and shall be called by the Managing Director on receipt of a requisition from $1/5^{th}$ of the total number of members or from the Registrar of Cooperative societies or any person authorized by him within one month from the date of receipt of such requisition.

Notice for the Special/General Meeting of the General Body

16(b) In case of the Annual General Body Meeting, the date, time and place of the meeting shall be announced at least 21 days clearly in advance and in the case of special General Body Meeting at least 15 days in advance by a written notice. The notice for the meeting of the General Body shall be deemed to have been given after expiry of 24 hours after the meeting notices are sent to the representatives, provided the proof of such posting is retained in the office.

साधारण सभा की बैठक का कोरम

16 (ग) साधारण सभा की बैठक में किसी भी मामले के निपटान के लिए साधारण सभा की संख्या का 1/10 भाग कोरम होगा। बैठक के लिए अपेक्षित कोरम न होने की स्थिति में, बैठक को अगले महीने की उसी तारीख और ऐसे समय, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। इस प्रकार की स्थगित बैठक के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार की स्थगित बैठक में परिचालित कार्यसूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर चर्चा नहीं होगी। प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा चाहे उसने कितने ही शेयर क्यों न लिए हों। सभी मामलों में समान मत होने की स्थिति में, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। परोक्षी (प्रॉक्सी) अनुमत नहीं होगी। यदि किसी सदस्य की अंश राशि के विषय में निदेशक मंडल की मांग बकाया है तो उसे मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16 (घ) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्षों में से एक, जो आयु में वरिष्ठ हो अथवा उनकी भी अनुपस्थिति में इस प्रयोजन के लिए सदस्यों में से चुना गया एक सदस्य साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

17. हटा दिया गया।

<u>साधारण सभा (सामान्य निकाय) की शक्तियां</u>

18. अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित साधारण सभा के निर्णयों का रिकार्ड रखा जाएगा।

जब तक इन उप-विधियों में अन्यथा विहित न हो, नेफेड के शासन सम्बन्धी समस्त मामलों में अंतिम प्राधिकार साधारण सभा में निहित होगा।

<u>उप-विधियों में संशोधन</u>

19.(1) इन उप-विधियों में संशोधन, केवल साधारण सभा की बैठक के ऐसे प्रस्ताव से पारित होगा, जिसमें उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई से अधिक सदस्यों के मत प्राप्त हुए हों।

(2) उप-विधियों में संशोधन उसी दिन से लागू होगा जिस दिन इन्हें पंजीकृत किया गया है बशर्ते कि इन्हें किसी विशेष दिन से लागू करने का उल्लेख न किया गया हो।

(3) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव तब तक वैध नहीं होगा जब तक सदस्यों को प्रस्तावित संशोधन की 15 दिन की स्पष्ट सूचना नहीं दे दी गई हो।

(4) इस प्रकार के प्रत्येक आवेदन पत्र को सामान्य निकाय की बैठक की उस दिनांक से 60 दिन के अन्दर केन्द्रीय पंजीयक को भेजा जाएगा, जिस दिनांक को उप-विधियों में इस प्रकार का संशोधन पारित किया गया।

Quorum for the Meeting of the General Body

16 (c) The quorum of the meeting of the General Body shall be 1/10th of the strength of the General Body to transact any business. In the absence of quorum for the meeting, the meeting shall be adjourned to take place on the same date of the next succeeding month at such hour as may be specified in the notice. No quorum shall be required in such adjourned meeting. Additional subjects, other than those circulated as agenda, shall not be discussed in the adjourned meeting. Each member shall have one vote irrespective of the number of shares held by him. The Chairman shall have a right casting vote in the event of equality of votes in all matters. No proxies shall be allowed. No member shall be allowed to vote if it is in arrears of its share money demanded by the Board of Directors.

16 (d) The Chairman or in his absence one of the Vice Chairmen senior in age or in their absence one of the other members elected for the purpose shall preside over the General Body Meeting.

17. Deleted.

Powers of the General Body

18. The record of the decisions of the General Body duly signed by the Chairman shall be maintained.

Unless otherwise provided in these Bye-laws, the ultimate authority in all matters relating to the administration of NAFED shall vest in the General Body.

Amendments in the Bye-laws

19. (1) The amendments to the byelaws shall be made by a resolution passed by a two-third majority of the members present and voting at general bodymeeting.

(2) An amendment of the byelaws shall, unless it is expressed to come into operation on a particular day, come into force on the day on which it is registered.

(3) No such resolution shall be valid unless 15 clear days' notice of the proposed amendments has been given to the members.

(4) Every such application shall be sent to the Central Registrar within sixty days' from the date of the general meeting at which such amendments to the bye-laws were passed.

20. निदेशक मंडल

अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अधीन:

(I) नेफेड के बोर्ड में निदेशकों की संख्या इक्कीस (21) से अधिक नहीं होगी, नेफेड के प्रबंध निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे, परंतु निर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना के उद्देश्य से उन्हें बाहर रखा जाएगा। इस शर्त के अधीन कि निदेशक मंडल की संरचना उप-विधियों में निर्दिष्ट की जानी चाहिए, बशर्ते कि:

क) बोर्ड बैंकिंग, प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन और वित्त के क्षेत्र में अनुभवी अथवा ऐसी बहु-राज्य सहकारी सोसायटी द्वारा किए गए उद्देश्यों और गतिविधियों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले को बोर्ड के सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकता है:

ख) ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या इस उपधारा में निर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अलावा दो से अधिक नहीं होगी।

(II) अधिनियम की धारा 41(3) के पहले प्रावधान के अनुसार सहयोजित निदेशकों को पदाधिकारियों के किसी भी निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा अथवा वह पदाधिकारी के रूप में चुने जाने के पात्र नहीं होंगे।

(III) नेफेड के कार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और इन निदेशकों को कुल इक्कीस (21) निदेशकों की गिनती के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा।

(IV) नेफेड बोर्ड का कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में, नेफेड द्वारा या उसकी ओर से किए गए या किए जाने वाले किसी भी अनुबंध या व्यवस्था की चर्चा में उपस्थित नहीं होगा, अथवा उस पर वोट नहीं देगा, यदि वह या उसका कोई रिश्तेदार हो ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित या रुचि रखता है और नेफेड के किसी भी मौजूदा निदेशक के किसी भी रिश्तेदार को उस सोसायटी के मुख्य कार्यकारी सहित कर्मचारी के रूप में भर्ती नहीं किया जाएगा।

(V) किसी व्यक्ति के संदर्भ में "रिश्तेदार" शब्द, जैसा कि उपरोक्त खंड (IV) में संदर्भित है, का अर्थ व्यक्तियों और व्यक्तिगत से होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 41 के उप-धारा-6 के स्पष्टीकरण में प्रदान किया गया है।

(VI) बोर्ड का कोई भी निदेशक जो अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (6) के प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे बोर्ड का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और कथित उपधारा में संदर्भित अनुसार बोर्ड की इस प्रकार की बैठक की तिथि से उसका कार्यालय रिक्त माना जाएगा और इस प्रकार की कार्यवाही रिक्त करने हेतु समझी जाएगी।

21. Board of Directors

Subject to the provisions of Section 41 of the Act;

(I) The Board of NAFED shall consist of such number of directors not exceeding twenty-one (21), the Managing Director of NAFED shall also be member of the Board, but be excluded for the purpose of counting the total number of directors specified subject to the condition that the composition of the Board of Directors should be specified in the bye-laws, provided that:

a) The Board may co-opt as members of the Board having experience in the field of banking, management, co-operative management and finance or specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by such Multi-State Co-operative society:

b) The number of such co-opted members shall not exceed two in addition to twenty-one directors specified in this sub-section.

(II) The co-opted directors as referred to in the first proviso to the Section 41(3) of the ACT shall not have the right to vote in any election of the office bearers or be eligible to be elected as office bearers of the Board.

(III) The functional directors of NAFED shall also be the members of the Board and such directors shall be excluded for the purpose of counting the total twenty one (21) numbers of directors.

(IV) No director of NAFED Board shall, as a director, be present in the discussion of, or vote on, any contract or arrangement entered into, or to be entered into, by or on behalf of NAFED, if he or his relative is directly or indirectly concerned or interested in such contract or arrangement and no relative of any of the sitting directors of NAFED shall be recruited as employee including the Chief Executive of that society.

(V) The term, “relative” with reference to an individual, as referred in Clause (IV) above shall mean and include persons and individuals as provided in Explanation to sub-section-6 to Section 41 of the Act.

(VI) Any director of the Board who violates the provision of sub-section (6) to Section 41 of the Act, shall be disqualified for being a member of the Board and deemed to have vacated his office from the date of such meeting of the Board as is referred to in the said sub-section and such proceedings shall be deemed to be void.

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) उप-विधि संख्या 4 (क) (i) के अंतर्गत स्वीकृत संघ (केन्द्र) शासित प्रदेशों को छोड़कर प्रत्येक राज्य स्तरीय सामान्य प्रयोजन के सहकारी विपणन संघों का एक -एक नामित सदस्य जिन्होंने सदस्यता/अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से अंश के रुप में न्यूनतम पचास लाख का अंशदान किया है।

यदि इस प्रकार के सदस्य संघों की संख्या 10 से अधिक होती है तो नेफेड के निदेशक मंडल में क्रमानुसार (डिसेंडिंग आर्डर) प्रथम 10 सदस्य संघ एक-एक निदेशक नामित करने के पात्र होंगे। क्रम (रैंकिंग) का आधार नेफेड की कुल अंशपूंजी में संबंधित राज्य की अंशपूंजी की प्रतिशतता का औसत और नेफेड के साथ उस संघ द्वारा किया गया औसत कारोबार होगा, किंतु इस कारोबार में उस राज्य में किए गए समर्थन मूल्य योजना/विपण हस्तक्षेप योजना के साथ किए गए कुल व्यवसाय या सरकारी योजना के अन्य किसी कारोबार को प्रतिशत के रूप में नहीं माना जाएगा।

बहु-राज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम/नियम 2002, यथासंशोधित एमएससीएस (संशोधन) अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के नामित सदस्य होंगे।

(ख) उपविधि संख्या 4 (क) (ii) के अंतर्गत सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं संघ शासित राज्यों में शीर्ष स्तरीय विपणन समितियों से एक निदेशक का निर्वाचन, उपर्युक्त (क) में उल्लिखित मानदण्डों के आधार पर करना, यदि पात्र है और यदि कोई पात्रता पूरी नहीं करता तो उपर्युक्त पैरा (क) में तैयार सूची से ग्यारहवें उम्मीदवार के द्वारा इस रिक्ति को भरा जाएगा।

(ग) उपविधि संख्या 4 (क) (iii) के अंतर्गत प्रविष्ट सदस्यों के द्वारा अपने में से निर्वाचित एक प्रतिनिधि।

(घ) उपविधि संख्या 4 (क) (iv) के अंतर्गत प्रविष्ट सदस्यों के द्वारा अपने मे से निर्वाचित सात प्रतिनिधि।

(ङ) उपविधि संख्या 4 (क) (v) के अंतर्गत भारत सरकार का एक प्रतिनिधि सरकार द्वारा नेफेड को मूल के पुनर्भुगतान एवं ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज के भुगतान पर गारंटी देने अथवा सरकार द्वारा नेफेड को अनुदान और अन्यथा किसी प्रकार का सहयोग देने के मामले में सरकार, इस कारण से, यथास्थिति, या सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को नेफेड के निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार होगा। इस विधि से नामित व्यक्ति तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक उसे सरकार द्वारा नामित किया गया है।

(च) हटा दिया गया।

(छ) हटा दिया गया।

(ज) हटा दिया गया।

The Board of Directors elected by the General Body shall consist of:

(a) One nominee each of the State Level General Purpose Cooperative Marketing Federations excluding UTs admitted under byelaw 4(a)(i) which has contributed at least Rs.50 lacs individually as equity through admission/additional contribution.

In case there are more than 10 such member Federations then the first 10 in descending order of their ranking would be eligible to nominate one director each to the Board of NAFED. The ranking will be based on weighted average of the percentage equity share capital of the concerned State in the total issued share capital of NAFED and the average business with NAFED excluding PSS/MIS or any other business of Government Scheme in that State as a percentage of the total business with NAFED in equal proportion.

Such nominee shall be in accordance with the provisions of the MSCS Act/Rules 2002, as amended by MSCS (Amendment) Act 2023.

(b) One Director, if eligible from North-Eastern States including Sikkim and Apex level Marketing Societies of the Union Territories registered under bye law 4 (a)(ii) to be elected on the basis of the criteria laid down at (a) above and if none qualifies than vacancy will be filled up by the eleventh candidate from the list prepared in Para (a) above.

(c) One representative to be elected by the members admitted under Bye- law 4(a)(iii)

(d) Seven representatives to be elected by members admitted under Bye-law 4(a)(iv) from amongst themselves;

(e) One nominee of the Govt. of India, under Bye-law 4(a)(v) where the Govt. guaranteed repayment of principal and payment of interest on loans and advances to NAFED or has given any assistance by way of grants or otherwise to NAFED, the Govt. in this behalf, as the case may be, or any person authorized by the Govt. shall have the right to nominate person on the Board of NAFED. A person nominated under this section shall hold office during the pleasure of the Govt. by which he has been sonominated.

(f) Deleted

(g) Deleted

(h) Deleted

(झ) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ का एक नामित सदस्य नेफेड के निदेशक मंडल में पारस्परिक आधार पर प्रतिनिधित्व करेगा।

(ण) हटा दिया गया।

(ट) प्रबंधक निदेशक।

(ठ) निदेशक मंडल में चार (4) फंक्शनल डायरेक्टर होंगे यथा डायरेक्टर - वित्त, डायरेक्टर - विपणन, डायरेक्टर पीएसएस आप्रेशन और डायरेक्टर - मानव संसाधन विकास एवं सहकारिता विकास। ये फंक्शनल डायरेक्टर्स नेफेड में पूर्ण कालिक फंक्शनल डायरेक्टर होंगें और निदेशक मंडल के सदस्य होंगे तथा वे अपने संबंधित विशेष कार्यों के प्रमुख होंगे एवं प्रबन्ध निदेशक को रिपोर्ट करेंगे। किन्तु, प्रबन्ध निदेशक की सिफारिशों पर निदेशक मंडल उनके कार्यों/ जिम्मेवारियों में फेर बदल कर सकता है।

20 (क) <u>निर्वाचन के लिए प्रक्रिया और पात्रता</u>

क) नेफेड के निदेशक मंडल का निर्वाचन इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

ख) नेफेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक समयावधि के भीतर मौजूदा बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से छह महीने पहले प्राधिकरण को निर्वाचन कराने के लिए सूचित करेंगे।

ग) कोई भी व्यक्ति नेफेड के बोर्ड के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह उस सोसायटी के सामान्य निकाय का सक्रिय सदस्य न हो। 'सक्रिय सदस्य' का तात्पर्य उस सदस्य समिति से होगा जिसने उप-विधियों में निर्धारित अनुसार अंशपूंजी की न्यूनतम स्तर की सदस्यता प्राप्त की है।

घ) नेफेड के बोर्ड का कोई सदस्य या पदाधिकारी ऐसा सदस्य या पदाधिकारी नहीं रह जाएगा, यदि वह उस सोसायटी के सामान्य निकाय का सदस्य नहीं रह जाता है।

ङ) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

च) नेफेड के बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन नेफेड के सदस्यों की सामान्य बैठक में होगा और बोर्ड के निर्वाचित सदस्य अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन पुन: निर्वाचन के लिए पात्र हो सकते हैं। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए निदेशक मंडल को गठित करना आवश्यक होगा।

छ) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तारीख से पांच (5) वर्ष होगा और पदाधिकारियों का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा:, बशर्ते कि:

(i) One nominee of the National Cooperative Consumers Federation shall represent on the Board of NAFED on reciprocal basis;

(j) Deleted;

(k) Managing Director.

20 (l) There shall be four (4) Functional Directors i.e. Director – Finance, Director – Marketing, Director – PSS operations and Director – HRD & Cooperative Development. These Functional Directors shall be in whole time employment of NAFED and members of the Board of Directors and they shall be head of their specific areas and report to the Managing Director. However, their job responsibilities may be rotated upon by the Board of Directors on the recommendations of the Managing Director.

20 (A) Procedure and eligibility for Election

a) The Election to the Board of Directors of NAFED shall be conducted in accordance to the relevant provisions of Multi-State Cooperative Societies Act and Rules by the Cooperative Election Authority as appointed by the Central Government in this regard.

b) The Chairperson and the Managing Director of NAFED shall inform the Authority, six months before the expiry of the term of the existing Board, to conduct the elections within time.

c) No person shall be eligible to be elected as a member of the Board or office bearer of NAFED, unless he is an active member of the general body of that society. The 'active member' shall mean and include the member society has subscribed to the minimum level of share capital as prescribed in the Bye-Laws.

d) A member of the Board or office bearer of NAFED shall cease to be such member or office bearer, if he/she ceases to be a member of general body of that society.

e) The election of members of Board shall be held by secret ballot in such manner as may be prescribed.

f) The election of the members of NAFED's Board shall be held in the general meeting of the members of NAFED and the elected members of the Board may be eligible for re-election subject to the provisions of the Act and Rules. The new Board of Directors shall require to be put in place before the expiry of the term as per the provisions of the Act and Rules.

g) The term of office of elected members of the Board and its office bearers shall be five(5) years from the date of election and the term of office bearers shall be co-terminus with the term of the Board: Provided that:

(i) बोर्ड सदस्यों के उसी वर्ग में से नामांकन द्वारा बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों की एक तिहाई संख्या तक आकस्मिक रिक्तियों को भर सकता है, जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है, यदि बोर्ड का कार्यकाल है इसके मूल कार्यकाल के आधे से भी कम है:

(ii) यदि बोर्ड के समान कार्यकाल में ऐसी आकस्मिक रिक्तियों की संख्या निर्वाचित निदेशकों की संख्या की एक तिहाई से अधिक हो जाती है, तो ऐसी रिक्तियां निर्वाचन द्वारा भरी जाएंगी।

<u>प्रबंध निर्णय की प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारीः</u>

प्रबंध निर्णय करने की प्रक्रिया की निकाय में किसी कर्मचारी की भागीदारी के लिए एक पद्धति अपनाई जानी है, जैसा समय समय पर आवश्यक समझा जाएगा।

<u>अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन</u>

21. निदेशक मंडल के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों का निर्वाचन करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-अवधि उस अवधि के बराबर होगी जिसके लिए निदेशक मंडल का निर्वाचन हुआ है। इस अवधि में हुई किसी रिक्ति की शेष अवधि के लिए पूर्ति निदेशक मंडल पुनर्निर्वाचन द्वारा करेगा।

22. अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के उपरान्त, मंडल की अवधि पर्यन्त पद पर बने रहेंगे बशर्ते कि निदेशक मंडल ने विधिवत सूचना देकर उन्हें हटाने के प्रस्ताव को दो-तिहाई मतों से पारित कर दिया हो।

23. <u>निदेशक मंडल की बैठक / निदेशक मंडल की बैठक का कोरम</u>

क) प्रबंध निदेशक नेफेड के अध्यक्ष के कहने पर बोर्ड की बैठकें बुलाएंगे, बशर्ते कि:

(i) जहां अध्यक्ष तिमाही के भीतर बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए प्रबंध निदेशक को निर्देश देने में विफल रहते हैं, तो प्रबंध निदेशक उपाध्यक्ष या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य की मांग के आधार पर बैठक बुलाएंगे:

(ii) तथापि पहली शर्त में कुछ भी निहित होते हुए भी, प्रबंध निदेशक बोर्ड के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्यों से मांग के आधार पर भी बैठक बुला सकते हैं;

ख) निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः **प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार** आयोजित की जाएंगी। अति तात्कालिकता की स्थिति में, निदेशक मंडल के आदेश भी प्रेषण द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और पुष्टि के लिए बोर्ड की अगली बैठक से पहले रखे जा सकते हैं। ऐसे निर्णयों में बोर्ड के किसी अन्य निर्णय के समान ही बाध्यकारी शक्ति होगी। यदि प्रेषण द्वारा भेजे गए किसी प्रस्ताव पर कोई असहमति नोट प्राप्त होता है, तो मामले को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और निर्णय के लिए निदेशक मंडल की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

i. The Board may fill casual vacancies up to one-third of number of elected directors on the Board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the Board is less than half of its original term:

ii. In case the number of such casual vacancies in the same term of the Board exceeds one-third of number of elected directors, such vacancies shall be filled by elections.

Association of Employees in Management Decision-Making Process.

A procedure has to be devised for associating the representation of an employee to a body for Management decision making process as would be deemed necessary from time to time.

Election of Chairman and Vice Chairmen

21. The members of the Board of Directors shall elect from amongst themselves a Chairman and two Vice-Chairmen. The terms of the Chairman and Vice- Chairmen shall be co-terminus with the term for which the Board has been elected. In case of any vacancy within this period, the Board may fill up the vacancy through re-election for the un-expired term of the Board.

22. The Chairman and the two Vice-Chairmen once elected shall continue to hold the office for the term of the Board except when the Board of Directors resolve to remove them by the 2/3rd majority of the Board with due notice.

23. **Meeting of the Board of Directors/Quorum of the Board Meeting**

a) The Managing Director shall convene the meetings of the Board at the instance of the Chairperson of NAFED, provided that:
   (i) where Chairperson fails to direct the Managing Director to convene the meeting of the Board within the quarter, the Managing Director shall convene the meeting on the basis of requisition of the Vice-Chairperson or any other Member of the Board:
   (ii) Notwithstanding anything contained in the first proviso, the Managing Director may also convene the meeting on the basis of requisition from at least fifty percent of Members of the Board;

b) Meetings of the Board of Directors shall ordinarily be held at least once in every quarter. In case of urgency, the orders of the Board of Directors may also be obtained by circulation and placed before the next meeting of the Board for confirmation. Such decisions shall have the same binding force as any other decision of the Board. In case, any dissenting note is received on a resolution sent by circulation, the matter should not be adopted and should be placed before the next meeting of the Board of Directors for a decision.

ग) अध्यक्ष, यदि किसी कारण से, बोर्ड की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष आयु में वरिष्ठ होगा और दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उनमें से उपस्थित बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुना गया बोर्ड का कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

घ) बोर्ड के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा, परंतु वोट बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष वोट डालेंगे, निर्वाचन को छोड़कर, जहां वोट बराबर होने की स्थिति में निर्णय लॉट्स के ड्रॉ द्वारा लिया जाएगा। निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सदस्यों को सामान्यतः कम से कम 15 दिन की स्पष्ट सूचना प्रदान की जाएगी।

ङ) नेफेड के निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम उसके निर्वाचित निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा।

<u>निदेशक मंडल का कार्यकाल</u>

24. निदेशक मंडल के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल निर्वाचन होने की तिथि से 5 वर्ष का होगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए निदेशक मंडल का निर्वाचन अपेक्षित है।

निदेशक मंडल की बैठकों में सभी व्यवसायों पर की गई चर्चा और लिए गए निर्णयों को रिकार्ड किया जाएगा और उन पर अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक हस्ताक्षर करेंगे।

सरकार द्वारा नामित तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मामलों में, निदेशक मंडल में उनकी सदस्यता तब तक बनी रहेगी जब तक नामित करने वाली सरकार अथवा संस्था उन्हें निवृत्त न कर दें।

25. निदेशक मंडल नेफेड की साधारण सभा में मत देने के पात्र नेफेड के सदस्यों के प्रतिनिधियों की सूची रखेगा और प्रत्येक बैठक से एक महीने पूर्व इस सूची को अद्यतन (अपडेट) करेगा।

26. सदस्य संस्थाओं के प्रबन्ध मंडल के प्रस्तावों के संदर्भ में सदस्यों के प्रतिनिधियों की एक सूची बनाई जाएगी। उक्त प्रस्ताव में प्रतिनिधि का नाम और वह अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके लिए उसे उस संस्था के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनियुक्त (नामित) किया गया है।

c) The Chairperson, if for any reason, is unable to attend a meeting of the Board, the Vice-Chairperson senior in age and in the absence of both, any other Member of the Board chosen by the Members of the Board present from amongst themselves at the meeting, shall preside over the meeting.

d) Each member of the Board shall have one vote, but the Chairman shall have a casting vote in the event of equality of votes, except for elections where in case of equality of votes, decision will be taken by drawing of lots. At least 15 days, clear notice shall ordinarily be given to the members for the meetings of the Board of Directors.

e) The quorum for a meeting of the Board of directors of NAFED shall be one-third of its total number of elected directors.

Term of the Board

24 The term of office of the elected members of the Board shall be five years from the date of election and shall be eligible for re-election subject to the provisions of the Act. New Board of Directors required to be put in place before the expiry of the term as per the provisions of the Act.

All business discussed or decided at a meeting of the Board of Directors shall be recorded and shall be signed by the Chairman and the ManagingDirector.

In the case of Government nominees and representatives of other institutions, their membership on the Board of Directors shall continue for so long as they are not terminated by the Government/institutions nominating them.

25. The Board of Directors shall maintain a list of representatives of members on the roll of NAFED; who are qualified to vote at the General Meeting of NAFED and bring such list up-to-date a month before each meeting.

26. A list of representatives of members shall be drawn up with reference to the resolutions of the Board of Management of the member institutions, which shall specify in the resolution the name of the representative and the period for which he was nominated.

<u>निदेशक मंडल के सदस्य के पद की समाप्ति</u>

27. निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य, मंडल के निदेशक के पद पर नहीं रहेगा, यदि यह:

(i) त्याग-पत्र देता है और उसका त्याग-पत्र निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है; अथवा

(ii) नेफेड के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है अथवा प्रबन्ध निदेशक के सिवाय, नेफेड से किसी प्रकार का मानदेय लेता है; अथवा

(iii) मंडल को बिना संतोषजनक कारण बताए, मंडल की चार क्रमिक बैठकों से अनुपस्थित रहता है; अथवा

(iv) नेफेड की साधारण सभा में सम्बद्ध सहकारी संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता; अथवा

(v) सरकार या नामित करने वाली संस्था का नामित सदस्य नहीं रहता।

<u>निदेशक मंडल की शक्तियां एवं कार्य</u>

28. इन उप-विधियों में या साधारण सभा की बैठक में नेफेड द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों या किन्हीं प्रस्तावों के अध्यधीन साधारण सभा के लिए सुरक्षित शक्तियों के सिवाय निदेशक मंडल नेफेड की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। विशेष रूप से मंडल की शक्तियां निम्नलिखित होगीः-

(i) अपने समस्त संव्यवहारों में अधिनियम अधिसूचित नियमों और इन उप-विधियों का अनुपालन;

(i क) प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से बहु-राज्य सहकारी सोसायटी के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और उपाध्यक्ष (वाईस-चेयरपर्सन) या अध्यक्ष (प्रेजिडेंट) और उपाध्यक्ष (वाईस-प्रेजिडेंट) का निर्वाचन करना: बशर्ते कि निर्वाचन के प्रमाण पत्र को बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के निष्कर्ष के बाद बहु-राज्य सहकारी सोसायटी के मुख्य कार्यकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(ii) साधारण सभा के समक्ष, वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(iii) नेफेड के वार्षिक बजट (पूरक बजट सहित) पर विचार और उसका अनुमोदन करना;

(iv) पंजीयक अथवा उसके द्वारा निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की निरीक्षण टिप्पणियों पर विचार और उन पर आवश्यक कार्यवाही करना;

(v) सदस्यों को प्रवेश देना और निलम्बित करना, नए शेयर जारी करना और पुराने शेयरों का अन्तरण करना;

Cease to Hold the Office of the Board

27. A member of the Board of Directors shall cease to hold office if he:

(i) resigns and his resignation is accepted by the Board; or

(ii) holds any office of profit under NAFED or receives any honorarium from NAFED except in the case of the Managing Director; or

(iii) fails without showing satisfactory reasons to the Board to attend four consecutive Board Meetings; or

(iv) cease to represent the affiliated cooperative institution in the General Body of NAFED; or

(v) cease to be nominee of the Government or institution nominating him.

Powers and Functions of the Board

28. The Board of Directors shall exercise all the powers of NAFED except those reserved for the General Body subject to any resolutions or restrictions laid down by NAFED in a General Body Meeting or in the Bye-laws. In particular, the Board has the following powers:

(i) to observe in all their transactions the Act, the notified rules and these Bye-laws;

(ia) to elect the Chairperson and Vice-Chairperson or President and Vice-President of the Multi-State Co-operative Society from amongst the elected members of the Board in accordance with the directions of the Authority: Provided that the certificate of election shall be issued by the Chief Executive of the Multi-State Co-operative Society after conclusion of resolution by the Board.

(ii) to place before the General Body, the Annual Report and the AuditReport;

(iii) to consider and approve the Annual Budget (including supplementary budget) of NAFED;

(iv) to consider the inspection notes of the Registrar and of any other person authorized to inspect by him and take necessary action;

(v) to admit and suspend members and issue new shares and transfer of old shares;

(vi) शेयरों के आहरण (विदड्रॉल), अन्तरण (ट्रांसफर), प्रतिदाय (रिफंड) और समाहरण (फोरफिचर) से संबंधित विषयों पर निर्णय लेना;

(vii) इन उप-विधियों के अनुसार साधारण सभा की बैठक बुलाना;

(viii) प्रबंध निदेशक, जो निदेशक मंडल का पदेन (एक्स-ओफिशियो) सदस्य होगा, की नियुक्ति, निलम्बन अथवा निष्कासन;

(ix) अधिनियम की धारा 64 के प्रावधानों के अनुसार अन्य सहकारी और अन्य संस्थानों तथा निकायों की शेयर पूंजी में निवेश का निर्णय करना।

(x) नेफेड की अचल संपत्ति का क्रय, विक्रय या अन्यथा अर्जन और निपटान करना;

(xi) निदेशक मंडल के सदस्यों के त्याग-पत्र की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति और त्याग-पत्र की स्वीकृति अथवा अन्य किसी कारण से हुई रिक्ति के मामले में उप-विधि सं. 24 के अनुसार साधारण सभा के प्रतिनिधियों में से निदेशकों को सहयोजित करना;

(xii) प्रबंध निदेशक की भर्ती, नियुक्ति, सेवा शर्तों, निलम्बन और दण्ड विषयक नियम बनाना;

(xiii) एक कार्यकारिणी समिति और एक व्यवसाय समिति की नियुक्ति करना;

(xiv) देश में सामान्य रूप से तथा सदस्य संघों के लिए विशेष रूप से कृषि सहकारी विपणन के उन्नयन (प्रमोटिंग) के प्रयोजन से व्यावसायिक प्रोत्साहन प्रदान करना;

(xv) लाभ के वितरण के लिए साधारण सभा से सिफारिश करना;

(xvi) अधिनियम की धारा 35 के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारत सरकार/राज्य सरकार और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा अंशदान की गई शेयर पूंजी की समाप्ति के संबंध में शर्तें और निबंधन तय करना।

(xvii) निदेशक मंडल अपनी सामान्य निधियों अथवा कल्याण निधियों अथवा राष्ट्रीय आपातकालीन स्थित्ति के प्रयोजन के लिए सृजित किसी अन्य निधि से, तदर्थ अनुदान देने के लिए सक्षम होगा।

(xviii) बहु राज्य सहकारी-सोसायटी के कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतनमान, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए प्रावधान करना, जिसमें ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल है, बशर्ते कि विभिन्न स्तरों पर ऐसे कर्मचारियों की भर्ती समयसमय पर निदेशक मंडल द्वारा - अनुमोदित अनुसार नेफेड के सेवा नियमों में निर्दिष्ट शैक्षिक और अनुभव मानदंडों के अनुसार पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और पर्याप्त रूप से प्रचारित प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाएगी।

(vi) to decide matters relating to withdrawals, transfer, refund and forfeiture of shares;

(vii) to summon General Body meeting in accordance with these Bye-laws;

(viii) to appoint, suspend or remove the Managing Director who shall be ex-officio member of the Board of Directors;

(ix) to decide an investment in the share capital of other cooperative and other institutions and bodies as per the provisions of the Section 64 of the Act.

(x) to purchase, sell or otherwise acquire and dispose of immovable property of NAFED;

(xi) to accept or reject the resignation from the members of the Board of Directors and in the case of acceptance of resignation or vacancy falling for other reasons, to co-opt Directors from among the representatives to the General Body in accordance with Bye-law 24;

(xii) to frame rules regarding recruitment, appointment, conditions of service, suspension and punishment in respect of the Managing Director;

(xiii) to appoint an Executive Committee and Business Committee;

(xiv) to grant business incentive with the object of promoting agricultural cooperative marketing in the country in general and that of the member-federations in particular.

(xv) to recommend to the General Body distribution of profits;

(xvi) to settle the terms and conditions regarding retirement of share-capital contributed by NCDC, Government of India/ State Government and other Government Organizations in accordance with Section 35 of the Act.

(xvii) the Board of Directors shall be competent to make ad-hoc grants from out of its general funds or common good funds or any other fund created for the purpose for any cause of national emergency.

(xviii) to make provisions for regulating the appointment of employees of the multi-state cooperative society and the scales of pay, allowances and other conditions of service of, including disciplinary action against such employees, provided that the recruitment of such employees at various levels would be carried out through a transparent, objective and adequately publicized competitive processes as per the educational and experience criteria specified in the service rules of NAFED as approved by the Board of Directors from time to time.

<u>बैठकों के रिकार्ड का रख-रखाव</u>

29. निदेशक मंडल की बैठक में विचार-विमर्श किए गए या निर्णीत समस्त विषय कार्य- विवरण पुस्तक में अभिलिखित (रिकार्ड) होंगे, जिस पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर होंगे।

30. निदेशक मंडल की समितियां

क) निदेशक मंडल कार्यकारिणी समिति, और इस प्रकार की अन्य समितियों अथवा उप-समितियों का गठन करेगा, जैसा नेफेड की उप-विधियों में निर्दिष्ट है, बशर्ते कि निदेशक मंडल –

(i) एक लेखापरीक्षा और आचार समिति;

(ii) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति।

ख) कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य समिति अथवा उप-समिति नेफेड की उप-विधियों और एमएससीएस अधिनियम एवं नियमों के अनुरूप सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगी।

निदेशक मंडल अपनी किसी भी शक्ति को कार्यकारिणी समिति, व्यवसाय समिति या उप-समिति या अपने सदस्यों से गठित अन्य समिति या अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या प्रबंध निदेशक अथवा नेफेड के किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है।

<u>कार्यकारिणी समिति</u>

31. निदेशक मंडल एक कार्यकारिणी समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे;

i) अध्यक्ष

ii) एक उपाध्यक्ष

iii) चार निदेशक

iv) प्रबंध निदेशक

Maintenance of Record of Meetings

29. All business discussed or decided at a meeting of the Board of Directors shall be recorded in proceedings book, which shall be signed by the Chairman and the Managing Director.

30. Committees of the Board

a) The Board may constitute an Executive Committee, and such other committees or sub-committees as may be specified in the bye-laws of NAFED, provided that the Board shall constitute—
   (i) an Audit and Ethics Committee;
   (ii) a Committee on prevention of sexual harassment at work place.

b) The Executive Committee or other committee or sub-committee shall perform such functions as are assigned to it in accordance with the bye-laws of NAFED and MSCS Act and Rules.

The Board of Directors may delegate any of its powers to the Executive Committee, Business Committee or Sub-Committee or other committee constituted out of its members or to the Chairman/Vice-Chairmen or to the Managing Director or to any other officer of NAFED.

Executive Committee

31. The Board of Directors shall constitute an Executive Committee comprising the following members:

(i) Chairman;
(ii) One Vice-Chairman;
(iii) Four Directors;
(iv) Managing Director.

कार्यकारिणी समिति की शक्तियां एवं कार्य

32. कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कार्य निम्नलिखित होंगे:

(i) तिमाही में कम से कम एक बार लेखाओं की आन्तरिक जांच की व्यवस्था करना;

(ii) भूभागों, यार्डों, गोदामों, भवनों, प्रसंस्करण संयंत्रों, मशीनरी, शीत भण्डार आदि को किराए अथवा पट्टे पर लेना;

(iii) नेफेड की चल संपत्ति का क्रय-विक्रय अथवा अन्यथा अर्जन (एक्वायर) या निपटान करना;

(iv) विभिन्न अधिकारियों और शाखाओं के लिए रोकड़ रखने की सीमा नियत करना और नेफेड की ओर से प्राप्तियों एवं अन्य प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना;

(v) नेफेड का व्यवसाय चलाने के लिए निधियां बढ़ाने की व्यवस्था करना और इसके लिए शर्तें एवं निबंधन निर्धारित करना;

(vi) निक्षेपों (डिपोजिटस) की प्राप्ति के निबंधनों, अवधि और ब्याज की दर का निर्णय करना और ऐसे निक्षेपों के पुनर्भुगतान की व्यवस्था करना;

(vii) प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त नेफेड के कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, निलम्बन, दण्ड और अन्य सेवा शर्तों के लिए नियम बनाना तथा जहां आवश्यक हो, कर्मचारियों से ली जाने वाली प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज़) का मानदण्ड एवं प्रकृति निर्धारित करना;

(viii) नेफेड के व्यवसाय को चलाने के लिए समय-समय पर अपेक्षित स्टाफ का अनुमोदन और स्वीकृति देना तथा प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त नेफेड के अन्य कर्मचारियों के संबंध में वेतनमानों और अन्य भत्तों तथा अनुलाभ (परक्विजिटस) आदि विहित करना;

(ix) नेफेड के लिए अपेक्षित अनुपभोज्य (डैड) स्टॉक, फर्नीचर और सज्जा सामग्री, लेखन-सामग्री तथा अन्य वस्तुओं पर होने वाले व्यय की स्वीकृति तथा अन्य आकस्मिक व्ययों की भी स्वीकृति देना। कार्यकारिणी समिति इन शक्तियों को प्रबंध निदेशक और नेफेड के अन्य अधिकारियों को, ऐसे प्रतिबंधों के अध्यधीन जिन्हें उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है;

(x) नेफेड के किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नेफेड के कार्यों से संबंधित कोई विधिक कार्यवाही नेफेड या उसके अधिकारियों या उसके कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध प्रारंभ करना, चलाना, प्रतिवाद करना, समझौता करना, माध्यस्थन (आरबिट्रेशन) के लिए भेजना या परित्याग (एबंडन) करना;

Powers and Functions of the Executive Committee

32. The Executive Committee shall have the following powers and functions:

(i) arrange for internal checking of the accounts at least once in a quarter;

(ii) to hire or take on lease land, yards, godowns, building, processing plants, machinery, cold storage, etc.;

(iii) to purchase, sell or otherwise acquire or dispose of movable property of the NAFED.

(iv) to fix the limits of cash balance to be kept by various officers and branches and authorize officers to sign or execute receipts and other documents on behalf of NAFED.

(v) to arrange for raising funds for carrying on the business of NAFED and to determine the terms and conditions thereof;

(vi) to decide the terms, period for and the rate of interest at which deposits are to be received and to arrange for repayment of such deposits;

(vii) to frame rules regarding recruitment, appointment, suspension, punishment and other conditions of service in respect of the employees of NAFED, other than the Managing Director and to prescribe the scale and nature of securities to be obtained from the employees where necessary;

(viii) to approve and sanction the staff required, from time to time, for carrying on the business of NAFED and to prescribe the scales of pay and other allowances and perquisites etc., in respect of the employees of NAFED other than Managing Director;

(ix) to sanction expenditure on purchase of dead stock, furniture and fixtures, stationery, vehicles and other items required by NAFED and also sanction other contingent expenditure. Executive Committee may delegate these powers to the Managing Director and other Officers of NAFED subject to such restrictions as it may deem fit;

(x) through any member or officer or employee of NAFED or any other person, specially authorized, to institute, conduct, defend, compromise, refer to arbitration or abandon legal proceedings by or against NAFED or its officers/employees concerning the affairs of NAFED;

(xi) इसके सदस्यों में से यथा आवश्यक उप-समितियां नियुक्त करना और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करना जो उचित हीं;

(xii) नेफेड के व्यवसाय के लिए न्यासी अथवा न्यासियों, न्यायवादी (अटॉर्नी) अथवा न्यायवादियों (अटॉर्नियों), एजेंट अथवा एजेंटों की नियुक्ति करना;

(xiii) किन्हीं मांगों और दावों को माध्यस्थम् के लिए भेजना और अधि-निर्णयों (अवार्डस) का अनुपालन और निष्पादन करना;

(xiv) 5 लाख रुपये से अधिक की संविदाओं को स्वीकृत करना;

(xv) समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियां;

(xvi) अपनी शक्तियों को संघ के ऐसे अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

जितनी बार आवश्यकता हो कार्यकारिणी समिति की बैठक की जा सकती है, किंतु सामान्यतः हर तिमाही में एक बार होगी। समिति की बैठक में 3 (तीन) सदस्यों का कोरम होगा। कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता के लिए अपने में से अध्यक्ष निर्वाचित कर सकेंगे।

<u>व्यवसाय समिति</u>

33. (क) निदेशक मंडल अपने में से एक व्यवसाय समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

i) अध्यक्ष

ii) एक उपाध्यक्ष

iii) चार निदेशक

iv) प्रबंध निदेशक

<u>व्यवसाय समिति के कार्य</u>

व्यवसाय समिति संघ के समग्र व्यवसाय से संबंधित सामान्य नीति का निर्धारण करेगी और समय-समय पर इस प्रकार की शर्ते और सीमाएं विहित करेगी जिन्हें वह उपयुक्त समझे। यह हर तिमाही में एक बार व्यवसाय में हुई प्रगति की समीक्षा भी करेगी।

जितनी बार आवश्यकता हो व्यवसाय समिति की बैठक की जा सकती है, किंतु सामान्यतः हर तिमाही में एक बार होगी। समिति की बैठक में 3 (तीन) सदस्यों का कोरम होगा। व्यवसाय समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता के लिए अपने में से अध्यक्ष निर्वाचित कर सकेंगे।

(xi) to appoint such sub-committee as may be necessary from amongst its members and delegate to them such powers as may be appropriate;

(xii) to appoint trustee or trustees, attorney or attorneys, agent or agents for the business of NAFED;

(xiii) to refer any claims or demands for arbitration and to observe and perform the awards;

(xiv) to sanction contracts which are in excess of Rs. 5 lakhs;

(xv) any other powers delegated by the Board of Directors from time to time;

(xvi) to delegate its powers to such officers of the Federation as it may deemfit.

The Executive Committee may meet as often as necessary but normally once in every quarter. Three members shall form a quorum in the meeting of the Committee. The meeting of the Executive Committee shall be presided over by the Chairman, in his absence by one of the Vice-Chairmen, senior in age and in their absence, the members present may elect their own Chairman from amongst themselves to preside over the meeting.

Business Committee

33(a) The Board of Directors shall constitute a Business Committee comprising as under :

(i) Chairman;
(ii) One Vice Chairman
(iii) Four Directors;
(iv) Managing Director.

Functions of the Business Committee

The Business Committee shall lay down the general policy about the overall business of the Federation and shall prescribe such terms and limits as it deem fit from time to time. It shall also review the progress made in business once in every quarter.

The Business Committee may meet as often as necessary but normally once in every quarter. Three members shall form a quorum in the meeting of the Committee. The meeting of the Business Committee shall be presided over by the Chairman, in his absence by one of the Vice-Chairmen, senior in age and in their absence, the members present may elect their own Chairman from amongst themselves to preside over the meeting.

<u>वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा और आचार समिति</u>

(ख) निदेशक मंडल एक वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा और आचार समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नानुसार शामिल होंगे:

(i) समिति का अध्यक्ष

(ii) पांच निदेशक

(iii) प्रबंध निदेशक

वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा और आचार समिति संघ की शाखावार/एककवार कार्य निष्पादनशीलता, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों और उसके अनुपालन की समय-समय पर समीक्षा करेगी। उपर्युक्त मामलों में जहां भी आवश्यक होगा, वहां यह समिति सुझाव देगी।

इसके अलावा, इस समिति के पास इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली या बोर्ड द्वारा इसे संदर्भित वस्तुओं के संबंध में किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार होगा।

<u>परियोजना एवं विकास समिति</u>

(ग) निदेशक मंडल एक परियोजना एवं विकास समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-

i) समिति का अध्यक्ष

ii) पांच निदेशक

iii) प्रबंध निदेशक

समिति विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समय समय पर समीक्षा करेगी। यह समिति क्रियान्वित होने वाली परियोजनाओं पर भी विचार करेगी। यह उन सभी विकासात्मक और सुधारात्मक कार्यों की समीक्षा करेगी और संबंधित दिशा-निर्देश भी देगी, जिनकी समीक्षा किसी अन्य समिति द्वारा नहीं की जा रही हो।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति

(घ) निदेशक मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन करेगा।

Finance, Accounts, Audit and Ethics Committee

(b) The Board of Directors shall constitute Finance, Accounts, Audit and Ethics Committee comprising as under:

(i) Chairman of the Committee

(ii) Five Directors

(iii) Managing Director.

Finance, Accounts, Audit and Ethics Committee shall review periodically branch wise/ unit wise performance of the Federation, important audit observations and compliance thereof. It shall give suggestions wherever deemed necessary in the above matter.

Further, this Committee shall have the authority to investigate into any matter in relation to the items falling under its scope of work or referred to it by the Board.

Project and Development Committee

(c) The Board of Directors shall constitute Project and Development Committee comprising as under:

(i) Chairman of the Committee

(ii) Five Directors

(iii) Managing Director

The Committee shall make periodical review of progress of various projects. It shall also take view on the projects likely to be taken up. The Project Committee shall review and guide all the developmental and reform activities not being reviewed by any other Committee.

Committee on prevention of sexual harassment at work place

(d) The Board of Directors shall constitute a Committee on Prevention of Sexual Harassment at Work Place as per the provisions of the Act.

<u>निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकें एवं कोरम</u>

(ङ) व्यवसाय समिति/वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा समिति/परियोजना एवं विकास समिति की बैठकों की अध्यक्षता इन समितियों के अध्यक्ष करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष/ उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णीत कोई निर्वाचित निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उपर्युक्त किसी भी बैठक में उपस्थित 3 (तीन) सदस्यों का कोरम माना जाएगा। यदि बैठक के लिए निश्चित समय से 30 मिनट के अंदर कोरम पूरा न हो तो बैठक किसी ऐसे अन्य समय और तारीख तक के लिए स्थगित समझी जाएगी, जैसा बैठक के अध्यक्षता प्राधिकारी निर्णय लें। इस प्रकार की स्थगित बैठक में भी यदि 15 मिनट की प्रतीक्षा करने के पश्चात भी कोरम नहीं बनता तो उपस्थित निदेशकों को शक्तियां होंगी कि वे बैठक की कार्यसूची में निर्धारित सभी व्यवसाय को पूरा करे जिसे पहले कोरम न होने के कारण स्थगित कर दिया था। किंतु इस प्रकार की स्थगित बैठक में किसी नए विषय पर विचार-विमर्श नहीं होगा।

<u>अध्यक्ष</u>

34. (i) निदेशक मंडल द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नेफेड की साधारण सभा के भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होंगे।

(ii) अध्यक्ष, निदेशक मंडल, साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति और व्यवसाय समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्षों में से एक अध्यक्षता करेगा और तीनों के अनुपस्थित होने पर उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुन लेंगे। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हों, किन्तु दोनों उपाध्यक्ष उपस्थित हों तो आयु में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा।

(iii) हटा दिया गया है।

(iv) अध्यक्ष निदेशक मंडल, कार्यकारिणी समिति, व्यवसाय समिति और अन्य किसी समिति की ओर से नेफेड की नीति को प्रभावित करने वाले ऐसे किसी तात्कालिक विषय पर, जिसे प्रबंध निदेशक के परामर्श पर तात्कालिक समझा जाए, निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा। मामले को अभिपुष्टि (रेटिफिकेशन) के लिए सम्बद्ध अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह (अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा, नामित व्यक्ति) विभिन्न संस्थाओं/संगठनों में संघ का प्रतिनिधित्व करेगा।

Meeting and Quorum of the Committees of the Board

(e) In the case of Business Committee/ Finance, Accounts & Audit Committee/Project & Development Committee meetings, the respective Chairman of the Committee shall preside over the meeting. In their absence one of the Vice Chairmen senior in age/any elected Director to be decided by the members present shall preside over the meeting. Three members in any of the above meetings shall form a quorum. If there be no quorum within thirty minutes from the time fixed for the meeting, the meeting shall stand adjourned to for such other time and date as decided by the presiding authority. At such adjourned meeting, if after waiting for 15 minutes, there be no quorum, the Directors present shall have the power to transact all the business specified in the agenda of the meeting which had to be adjourned for want of a quorum. No new subjects shall, however, be discussed at such adjourned meeting.

Chairman

34. (i) The Chairman and the Vice-Chairmen elected by the Board of Directors shall act as the Chairman and Vice-Chairmen of the General Body of NAFED also.

(ii) The Chairman shall preside over the meetings of the Board of Directors, General Body, Executive Committee and the Business Committee. In his absence one of the Vice-Chairmen shall preside and in the absence of the three, the members present shall elect one from amongst themselves as the Chairman of the meeting. When the Chairman is absent but both the Vice-Chairmen are present, the Vice-Chairman senior in age shall preside.

(iii) Deleted.

(iv) The Chairman shall be competent to take decisions as are of an urgent nature affecting the policy of the Federation on behalf of the Board of Directors, Executive Committee, Business Committee and any other committee, which may be deemed urgent on the advice of the Managing Director. The matter will be placed before the next meeting concerned for ratification. He (Chairman or his nominee) shall represent the Federation in different organizations/institutions.

प्रबंध निदेशक

(i) निदेशक मंडल ऐसे नियमों और शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करेगा जो वह नियत कर सकता है। तथापि, नेफेड किसी ऐसे व्यक्ति को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त या उसका रोजगार जारी नहीं रखेगा, जो- (ए) जिसकी आयु इक्कीस वर्ष से कम या सत्तर वर्ष से अधिक हो चुकी है: बशर्ते कि सत्तर वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति बोर्ड के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में ऐसे प्रस्ताव के लिए नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक बयान ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के औचित्य को इंगित करेगा; (बी) एक गैर-मुक्त दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है; (सी) किसी भी समय किसी अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया हो और छह महीने से अधिक की अवधि के लिए सजा सुनाई गई हो; या (डी) बहु-राज्य क्रेडिट सोसायटी के मामले में केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित 'फिट और उचित' मानदंडों को पूरा नहीं करता है या शिक्षा योग्यता और प्रासंगिक अनुभव के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। इसके अलावा, निदेशक मंडल प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दिशानिर्देश भी निर्धारित कर सकता है और ऐसे अतिरिक्त दिशानिर्देश अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

(ii) प्रबंध निदेशक नेफेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और संघ के व्यवसाय का संचालन करेंगे तथा नेफेड के प्रशासन पर नियंत्रण रखेंगे।

(iii) प्रबंध निदेशक बोर्ड और कार्यकारी समिति और ऐसी अन्य समितियों या उपसमितियों के सदस्य होंगे जो एमएससीएस अधिनियम और नियमों (अद्यतन संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार गठित की जा सकती हैं।

(iv) प्रबंध निदेशक संघ की नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में निदेशक मंडल, कार्यकारी समिति, व्यापार समिति और अन्य समितियों को सलाह देंगे और अनुमोदन के बाद इसे लागू करेंगे।

35. Managing Director

(i) The Board of Directors shall appoint the Managing Director on such terms and conditions and for such period as it may decide. However, NAFED shall not appoint or continue the employment of any person as the Managing Director who— (a) is below the age of twenty-one years or has attained the age of seventy years: Provided that any person above the age of seventy years may be appointed by a special resolution passed by three-fourth of the Board members, in which case the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointing such person; (b) is an un-discharged insolvent or has any time been adjudged as an insolvent; (c) has at any time been convicted by a court of an offence and sentenced for a period of more than six months; or (d) does not meet the criteria for 'fit and proper', as determined by the Central Registrar in case of multi-State credit societies or does not meet the criteria as Central Government may prescribe in terms of education qualifications and relevant experience. Further, the Board of Directors may also prescribe additional Guidelines as required from time to time regarding appointment of the Managing Director and such additional guidelines shall be in conformity with the relevant provisions of the Act and Rules.

(ii) The Managing Director shall act as the Chief Executive Officer of NAFED and shall conduct the business of the Federation and shall exercise control over the administration of NAFED.

(iii) The Managing Director shall be a member of the Board and of the Executive Committee and such other committees or subcommittees as may be constituted in accordance to the provisions of the MSCS Act and Rules (as amended up-to-date)

(iv) The Managing Director shall advise the Board of Directors, Executive Committee, Business Committee and other Committees in framing the policies and programmes of the Federation and implement the same after approval.

<u>प्रबन्ध निदेशक की शक्तियां एवं कार्य</u>

36. (क) प्रबंध निदेशक के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे

(i) साधारण सभा, निदेशक मंडल, कार्यकारिणी समिति, व्यवसाय समिति और अन्य उप- समितियों आदि की बैठक बुलाना और उनमें भाग लेना, परन्तु उसे निर्वाचन से संबंधित विषयों पर मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(ii) विभिन्न समितियों की बैठकों में भाग लेना तथा विभिन्न बैठकों में कृषि और अन्य पण्यों, यंत्रों आदि के क्रय-विक्रय, भण्डारण, प्रसंस्करण के मामलों तथा इससे प्रासंगिक विषयों के संबंध में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाना;

(iii) नेफेड के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय एवं कार्यों के सामान्य संचालन, पर्यवेक्षण एवं प्रबंध का उत्तरदायित्व संभालना;

(iv) संघ के लेखाओं का विहित पद्धति के अनुसार रखा जाना सुनिश्चित करना;

(v) नेफेड की ओर से समस्त धनराशि एवं प्रतिभूतियां प्राप्त करना और नेफेड की नकदी, रिकार्ड, संपत्तियों तथा अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा (कस्टडी) की व्यवस्था करना;

(vi) अधिनियम, नियमों एवं उप-विधियों के अंतर्गत प्राधिकृत विभिन्न प्राधिकारियों को बहियों और रिकार्ड निरीक्षण में सहायता देना;

(vii) नेफेड के मामलों से संबंधित, नेफेड या इसके कर्मचारियों द्वारा या उनके विरूद्ध या अन्यथा कोई विधिक कार्यवाही प्रारंभ करना, चलाना, प्रतिवाद करना, शमन करना या उसका परित्याग करना और नेफेड द्वारा या उसके विरूद्ध किन्हीं दावों या मांग के भुगतान या तुष्टि के लिए शमन करना और समय अनुमत करना;

(viii) अधिनियम के अंतर्गत बहियों में प्रविष्टियों की प्रतियां प्रमाणित करना;

(ix) अनुमोदित बजट अनुमानों की सीमा में व्यय करना;

(x) नेफेड के प्रयोग में आने वाले समस्त रजिस्टरों एवं अन्य कागज-पत्रों तथा नेफेड की अन्य संपत्तियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना;

(xi) नेफेड द्वारा प्राप्त संपूर्ण धन और नेफेड की अन्य समस्त संपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उसके खातों को समुचित रूप से बनाए रखने एवं अधिनियम, नियमों एवं निदेशक मंडल/कार्यकारिणी समिति के निदेशों के प्रावधानों के अध्यधीन निधियों के निवेश की व्यवस्था करना;

Powers and Duties of Managing Director

36(a) The following shall be the duties of the Managing Director:

(i) to summon the meetings of the General Body, Board of Directors, Executive Committee, Business Committee and other Sub-Committees, etc., and participate in them but shall have no right to vote in matters pertaining to elections;

(ii) to attend the meetings of the different committees and take necessary steps to implement the decisions taken in various meetings including matters relating to purchase, sales, storage, processing of agricultural and other commodities, machinery, etc., and matters incidental thereto;

(iii) to be responsible for the general conduct, supervision and management of the day-to-day business and affairs of NAFED.

(iv) to ensure proper maintenance of accounts of the Federation in the prescribed manner;

(v) to receive all moneys and securities on behalf of NAFED and to arrange for the safe custody of cash, records, properties and other securities of NAFED.

(vi) to assist in the inspection of books and records by various authorities empowered to do so under the Act, Rules and Bye-laws;

(vii) to institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceeding by or against NAFED or its employees or otherwise concerning the affairs of NAFED and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any claims or demand by or against NAFED;

(viii) to certify copies of entries in the books under the Act;

(ix) to incur expenditure within the approved budget estimates;

(x) to keep in safe custody all the registers and other papers in use of NAFED and other property of NAFED.

(xi) to arrange for the safe custody of all moneys received by NAFED and all other properties of NAFED, and for proper maintenance of accounts there of and for investment of funds of NAFED subject to the provisions of the Act, Rules and directions of the Board of Directors/Executive Committee;

(xii) समस्त निक्षेपों (डिपोजिटस) की रसीदों पर हस्ताक्षर करना और बैंकों में नेफेड के खाते चलाना। वह अपने में निहित समस्त या किसी शक्ति, प्राधिकार और विवेकाधिकार नेफेड के किसी कर्मचारी/कर्मचारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है, किंतु अंतिम नियंत्रण एवं प्राधिकार उसके अधीन रहेगा;

(xiii) नेफेड द्वारा प्राप्त धन की रसीदों पर हस्ताक्षर करना और बैंकों में नेफेड के खाते चलाना;

(xiv) नेफेड की ओर से मुकदमा चलाने या नेफेड पर मुकदमा चलाए जाने और नेफेड की ओर से बंध-पत्रों, करारों तथा अन्य प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए नेफेड का अधिकारी होगा;

(xv) नेफेड के दिन-प्रतिदिन के कार्य का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए नेफेड के कर्मचारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निर्धारित करना;

(ख) प्रबंध निदेशक संघ के प्रशासन पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखेगा और संघ के कार्यों को अधिनियम, नियमों, इन उप-विधियों और साधारण सभा, निदेशक मंडल, कार्यकारिणी समिति तथा व्यवसाय समिति के निर्णयों के अनुरूप संचालित करेगा। इसके अतिरिक्त, उसको निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगीः-

(i) इन उप-विधियों तथा समय-समय पर बने नियमों एवं निदेशक मंडल और कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के अध्यधीन संघ के कर्मचारियों को नियुक्ति, निलम्बन एवं दण्ड और उन्हें छुट्टी, सामान्य वेतनवृद्धि तथा अन्य अनुलाभ प्रदान करना;

(ii) कर्मचारियों के ऐसे वर्ग के संबंध में जिन्हें कार्यकारिणी समिति निर्णीत करे, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीन महीने से अनधिक (नॉट एक्सीडिंग) अवधि के नैमित्तिक (केजुअल) प्रकृति के अस्थायी पदों का सर्जन करना;

(iii) संघ के व्यवसाय का प्रवर्तन और संचालन करना तथा संघ के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के संचालन के लिए यथा आवश्यक कदम उठाना;

(iv) ऐसे सामान्य या विशिष्ट आदेशों के अध्यधीन, जिन्हें निदेशक मंडल और/या कार्यकारिणी समिति समय-समय पर जारी करे, नेफेड के प्रयोजन के लिए पूर्व कथित विषयों के संबंध में या अन्यथा नेफेड के नाम में या उसकी ओर से बातचीत या संविदा करना, तथा ऐसी संविदाओं को निरस्त करना या उनमें परिवर्तन करना तथा ऐसे सभी कृत्यों, विलेखों और कार्यों को निष्पादित करना;

(v) प्रत्येक मामले में 1000/- रुपये से अनधिक आकस्मिक व्यय (नॉट एक्सीडिंग);

(vi) अपने में निहित समस्त अथवा किसी एक शक्ति, प्राधिकार और विवेकाधिकार नेफेड के किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों को प्रत्यायोजित करना, पर अंतिम नियंत्रण और प्राधिकार उसके अधीन होगा।

(xii) to sign all deposit receipts and operate on the accounts of NAFED with the Banks. He may delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him, to any employee/employees of NAFED, subject to the ultimate control and authority being retained by him;

(xiii) to sign receipts for moneys received by NAFED and to operate on the accounts of NAFED in the banks;

(xiv) to be the officer of NAFED, to sue or to be sued on behalf of the NAFED and sign and execute bonds, agreements and other documents for and on behalf of NAFED;

(xv) to determine the powers, duties and responsibilities of the employees of NAFED for ensuring proper conduct of the day-to-day business of NAFED;

(b) The Managing Director shall exercise control and supervision on the administration of the Federation and to conduct the affairs of the Federation in conformity with the Act and Rules, these Bye-laws and the decisions of the General Body, Board of Directors, Executive Committee and the Business Committee. He shall have, in addition, the following powers;

(i) subject to these Bye-laws and such other rules framed from time to time and decisions of the Board of Directors and the Executive Committee, appointment, suspension and punishment of employees of the Federation and to grant them leave, normal increments and other perquisites;

(ii) to create temporary posts of casual nature for a period not exceeding three months to meet any emergent situation in respect of such categories of staff as may be decided by the Executive Committee;

(iii) to initiate and carry on the business of the Federation and take such steps as may be necessary for carrying on the day-to-day business of the Federation;

(iv) subject to such general or specific orders as the Board of Directors and/or the Executive Committee may issue from time to time, to enter into negotiations and contracts and rescind and vary such contracts and execute and do all such acts, deeds, and things in the name of and on behalf of NAFED, in relation to any of the matters aforesaid or otherwise for the purposes of NAFED;

(v) to incur contingent expenditure not exceeding Rs. 1,000 in each case;

(vi) to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him to an employee or employees of NAFED subject to the ultimate control and authority being retained by him.

37. रिकार्ड का रख-रखाव

निम्नलिखित रजिस्टर, अभिलेख और कागज-पत्र रखे जाएंगे और निधि में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा **नेफेड के पंजीकृत पते पर सभी उचित समय पर नि:शुल्क निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे**, सिवाय इसके कि किसी को उस व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना जमा खाता देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

(i) नियमों, उप-विधियों की एक प्रति, प्रत्येक सदस्य का नाम, पता और व्यवसाय प्रदर्शित करते हुए सदस्यों की सूची, उसके द्वारा लिए गए शेयरों की संख्या, सदस्य बनने की तारीख और सदस्यता से निवृत्ति की तारीख, यदि कोई हो, दर्शाई गई हो;

(ii) रोकड बही जिसमें प्रतिदिन किए जाने वाले व्यवसाय की आय-व्यय और शेष राशि दिखाई गई हो;

(iii) प्रत्येक सदस्य, निक्षेपी (डिपोजिटर), लेनदारों, विविध आय, व्यय आदि के खाता बही लेखे;

(iv) शेयर आबंटन रजिस्टर;

(v) शेयर किश्त रजिस्टर;

(vi) स्टॉक रजिस्टर;

(vii) क्रय-विक्रय रजिस्टर;

(viii) साधारण सभा, निदेशक मंडल, कार्यकारिणी समिति और व्यवसाय समिति की बैठकों की कार्यवाही के लिए पृथक कार्यवृत्त पुस्तकें;

(ix) केन्द्रीय पंजीयक द्वारा विहित अथवा व्यवसाय के लिए नेफेड द्वारा अपेक्षित अन्य कोई रजिस्टर।

37-क. सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति:

(i) नेफेड अपने सदस्यों को नेफेड के मामलों और प्रबंधन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक सहकारी सूचना अधिकारी (सीआईओ) नियुक्त करेगा और ऐसी जानकारी उप विधि 37 के तहत आने वाली जानकारी तक ही सीमित होगी।

(ii) नेफेड का कोई भी सदस्य उपविधि 37 में निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करेगा।

(iii) सहकारी सूचना अधिकारी, आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर, या तो जानकारी प्रदान करेगा या कारण निर्दिष्ट करते हुए आवेदन को अस्वीकार कर देगा।

बहु-राज्य सहकारी समिति का कोई भी सदस्य जिसका आवेदन रद्द किया गया है, ऐसी अस्वीकृति की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर सहकारी लोकपाल के पास अपील कर सकता है और उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

37. Maintenance of Records

The following registers, records and papers shall be maintained and shall be open to the **inspection free of charge at all reasonable times at registered address of NAFED by** anyone interested in the funds except that no one shall be allowed to see the deposit account of any person without that person's consent in writing:

(i) A copy of rules, bye-laws, List of members, showing the name, address and occupation of every member, the number of shares held by it, the date of its admission to membership and the date of termination of its membership; if any.

(ii) Cash Book, showing the income, expenditure and balance on each day on which business is done.

(iii) Ledger account for each member, depositor, creditor, miscellaneous income expenditure, etc.

(iv) Share allotment register.

(v) Share installment register.

(vi) Stock register.

(vii) Purchase and sale register.

(viii) Separate minute book for the proceedings of the meetings of the General Body and those of the Board of Directors, the Executive Committee and the Business Committee.

(ix) Any other register prescribed by the Registrar or required by NAFED for its business.

37-A. Appointment of Cooperative Information Officer:

(i) NAFED shall appoint a Co-operative Information Officer (CIO) to provide the information relating to affairs and management of NAFED to its members and such information shall be confined to the information falling under Bye Law 37.

(ii) Any member of NAFED shall make an application, accompanying such fee as may be prescribed, to get information specified in Bye Law 37.

(iii) The Co-operative Information Officer shall, within thirty days from the date of receipt of application, either provide the information or reject the application specifying the reason to do so.

Any member of the multi-State co-operative society whose application has been rejected may prefer an appeal to the Co-operative Ombudsman within a period of one month from the date of such rejection and his decision shall be final and binding.

38. लेखा परीक्षा

क) नेफेड के खातों का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जाएगी।

ख) अधिनियम में निर्धारित समवर्ती लेखापरीक्षा (concurrent audit) की आवश्यकता का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, यदि नेफेड अधिनियम की धारा 70क के संदर्भ में समान श्रेणी में आता है।

ग) लेखापरीक्षा और लेखांकन के ऐसे मानकों को आगे अपनाना अनिवार्य होगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं: बशर्ते कि जब तक लेखापरीक्षा और लेखांकन के ऐसे मानकों को निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा गठित इंस्टीट्यूटऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और लेखांकन मानकों को लेखापरीक्षा और लेखांकन हेतु समझा जाएगा:

शुद्ध लाभ का निपटान

39. अधिनियम के अनुसार नेफेड किसी एक वर्ष में अर्जित अपने शुद्ध लाभ का निम्न प्रकार से निपटान करेगाः

(क) आरक्षित निधि में न्यूनतम 25% राशि का अंतरण;

(ख) जैसी भी विधि निर्धारित की जाए में केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में वार्षिक तौर पर शुद्ध लाभ की एक प्रतिशत राशि जमा की जानी है और ऐसी निधि से आय का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विधि में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा;

(ग) अनपेक्षित (अनफोरसीन) हानियों की मद में न्यूनतम 10% की राशि का आरक्षित निधि में अंतरण;

(घ) अधिनियम में निर्धारित राशि को सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि में जमा करना।

निर्धारित की जाने वाली अन्य शर्तों के अध्यधीन शुद्ध लाभ की शेष राशि को निम्नलिखित सभी प्रयोजनों या किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है:-

(i) अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों द्वारा दी गई अंश पूंजी पर उन्हें लाभांश का भुगतान;

(ii) नेफेड द्वारा सृजित किसी अन्य निधि का गठन या उसमें अंशदान;

(iii) सहकारी आंदोलन के विकास या परोपकारी उद्देश्यों के लिए अथवा इससे संबंधित अन्य उद्देश्य के लिए शुद्ध लाभ की अधिकतम 5% राशि का दान जैसा परोपकारी दान अधिनियम 1890 की धारा (2) में परिभाषित किया गया है;

(iv) अधिकतम तीन महीने के वेतन के अध्यधीन पात्र कर्मचारियों को अनुग्रह (ग्रेशिया -एक्स) राशि-का भुगतान।

38. Audit.

a) The accounts of the NAFED shall be audited at least once in each year by an auditor appointed in accordance to the relevant provisions of Act.

b) It shall be incumbent to comply with the requirement of concurrent audit as prescribed in the Act, if NAFED falls in the category of the same in terms of the Section 70A of Act.

c) It shall further be incumbent to adopt such standards of auditing and accounting as may be determined by the Central Government: Provided that until such standards of auditing and accounting are specified, the auditing and accounting standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India constituted by sub-section (1) of section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949 shall be deemed to be the standards of auditing and accounting.

Disposal of Net Profit

39. As per the Act, NAFED shall, out of its net profit in any year:

(a) transfer an amount not less than 25% to the reserve fund;

(b) credit annually one per cent. of net profit to co-operative education fund to be maintained by the Central Government in such manner as may be prescribed and the proceeds from such fund shall be used for co-operative education and training through the National Co-operative Union of India and any other agency in such manner as may be determined by the Central Government;

(c) transfer an amount not less than 10% to a reserve fund for meeting unforeseen losses;

(d) Credit such amount, as prescribed in the Act, to the Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund.

Subject to such conditions as may be prescribed, the balance of the net profitmay be utilized for all or any of the following purposes, namely;

(i) payment of dividend to the members on their paid up share capital in accordance with the provisions of the Act and Rules;

(ii) constitution of, or contribution to, any other fund created by NAFED.

(iii) donation of amounts not exceeding 5% of the net profit for any purpose connected with the development of cooperative movement or charitable purpose as defined in section (2) of the Charitable Endowment Act 1890;

(iv) payment of ex-gratia amount to the deserving employees subject to the maximum of three months salary.

(घ) निम्नलिखित के लिए अंशदान:-

(i) भवन निधि,
(ii) हानि समायोजन निधि,
(iii) नेफेड द्वारा सृजित अन्य कोई निधि।

40. सहकारिता के सिद्धांतों और प्रथाओं का ज्ञान प्रदान करने के उपायों पर व्यय को वहन करने में नेफेड सक्षम होगा।

41. निदेशक मंडल के सदस्यों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मापदण्डों (स्केल) के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते दिए जाएंगे।

विवाद

42. यदि नेफेड के विधान अथवा व्यवसाय के संबंध में नेफेड के सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों या जिन व्यक्तियों ने किसी सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य के माध्यम से दावा किया हो अथवा इस प्रकार का दावा करने वाले सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों, व्यक्तियों में अथवा समिति के किसी अधिकारी, एजेंट या वेतन भोगी (भूतपूर्व या वर्तमान) में या नेफेड और इसकी समिति में और किसी अधिकारी, एजेंट सदस्य और नेफेड के कर्मचारी (भूतपूर्व और वर्तमान) में विवाद खड़ा हो तो उसे सहकारी सोसायटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के उप-बंधों के अनुसार केन्द्रीय पंजीयक को भेजा जाएगा। सदस्यों में नामिक (नोमिनल) सदस्य भी शामिल हैं।

सामान्य

43. वे सभी विषय, जिन्हें विशिष्ट रूप से विहित नहीं किया गया है, बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार निर्णीत किए जाएंगे।

44. निदेशक मंडल नेफेड के कार्य-संचालन के लिए इस प्रकार के कार्य नियम बना सकता है जो सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियमों और इन उप-विधियों से, असंगति नहीं रखते और उनमें समय-समय पर परिवर्धन (एडीशन) और परिवर्तन कर सकता है।

45. बैठक के संबंध में किसी विवाद अथवा बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियमों और इन उप-विधियों के किसी उपबंध के निर्वचन (इण्टरप्रिटेशन) के संबंध में केन्द्रीय पंजीयक का निर्णय अंतिम होगा।

46. नेफेड और उससे सम्बद्ध समितियों की उप-विधियों में विरोध होने की स्थिति में नेफेड की उप-विधियां अभिभावी (प्रिवेल) होंगी।

47. साधारण सभा या कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य किसी समिति के सदस्यों के निर्वाचन में कोई दोष होने के कारण अथवा उनकी किसी रिक्ति की पूर्ति इन उप-विधियों के अनुसार न होने के कारण इन समितियों का कोई भी कार्य अवैध नहीं समझा जाएगा।

48. इन उप-विधियों में किसी बात के होते हुए भी इनमें निर्धारित सदस्यता की अर्हता पूरी न करने वाले नेफेड के सभी वर्तमान सदस्य भी नेफेड के सदस्य बने रहेंगे।

समापन (लिक्वीडेशन)

49. नेफेड का समापन (वाइन्डअप) और विघटन (डिजाल्व) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केवल केन्द्रीय पंजीयक के आदेश पर होगा।

(e) Contribution to:

(i) Building Fund.
(ii) Loss adjustment Fund.
(iii) Any other fund created by NAFED.

40. It shall be competent for NAFED to incur expenditure on such measures as are conducive to the imparting of knowledge of cooperative principles and practices.

41. Members of the Board of Directors shall be paid traveling and daily allowances on a scale approved by the Board of Directors.

Disputes

42. If any dispute touching the constitution or business of NAFED arising between members or past members of NAFED or persons claiming through a member or past member or between members or past members or persons so claiming and any officer, agent or servant of the society (past or present) or between NAFED or its committee, and any officer, agent, member, or servant of NAFED (past or present) it shall be referred to the Registrar as provided in the Cooperative Societies Act and Rules framed there under. The members shall include the nominal members also.

General

43. All matters not specially provided for are to be decided in accordance with Multi State Cooperative Societies Act, Rules notified there under.

44. The Board of Directors may frame rules of business not inconsistent with the Multi State Cooperative Societies Act, the Rules and these Byelaws for carrying on the work of NAFED and make additions or alterations in them from time to time.

45 In case of any dispute about the meeting or interpretation of any provisions of the Multi State Cooperative Societies Act, Rules and these Bye-laws,the decision of the Registrar shall be final.

46 In the event of conflict between the Bye-laws of NAFED and the affiliated societies, the byelaws of NAFED shall prevail.

47. No act of the General Body or the Executive Committee or other Committee shall be deemed invalid by reasons of any defect in the election of the members thereof or by reason of any vacancy therein not having been filled in accordance with these Byelaws.

48. Notwithstanding anything contained in these Byelaws all such existing members of NAFED as do not fulfill the qualification of membership as laid down in these Bye-laws shall continue to be members of NAFED.

Liquidation

49. The NAFED shall be wound up and dissolved only by the order of the Registrar in accordance with the provisions of the Act.